भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 183
उत्तर देने की तिथि : 02.12.2019

एक समान पाठ्यक्रम

*183. श्री हँसमुखभाई सोमभाई पटेलः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देशभर में प्रचलित विभिन्न प्रकार के सरकार प्राधिकृत शिक्षा पाठ्यक्रमों और शिक्षा बोर्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की देशभर में विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को एक समान बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

"एक समान पाठ्यक्रम" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री हँसमुखभाई सोमभाई पटेल द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 183 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफ), सभी स्कूल स्तरों पर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश और नीति निर्धारित करता है। एनसीएफ के आधार पर, एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए मॉडल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। तथापि, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने के कारण यह संबंधित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का दायित्व है कि वे अपने स्कूलों की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में स्वयं निणर्य करें। इसीलिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और राज्य शिक्षा बोर्डों ने या तो एनसीईआरटी के

मॉडल पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को अपनाया है अथवा अनुरूप बनाया है या एनसीएफ के आधार पर अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित की हैं ताकि देश के राज्यों की संस्कृति, भाषायी और स्थलीय विधिताओं और राज्य विशिष्ट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा सके।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केवल दो राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षा बोर्डों नामत: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की स्थापना की है।

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के शिक्षा बोर्डों को संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए अधिनियमों, विनियमों, अनुदेशों इत्यादि के अनुसार स्थापित और मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित एनसीएफ, सभी स्कूल स्तरों पर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश और नीति निर्धारित करता है। एनसीएफ के सामान्य पाठ्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व शामिल हैं। ये तत्व विषयगत क्षेत्रों से अलग हैं और इन्हें भारत की समान सांस्कृतिक धरोहर, समतावाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, महिला-पुरूषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक बाधाओं का निवारण, और वैज्ञानिक सोच शामिल करने के लिए डिजाइन करने की आवश्यकता है।

******

"एक समान पाठ्यक्रम" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री हँसमुखभाई सोमभाई पटेल द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाला लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 183

कार्यकारी सार

इस प्रश्न में, इस संबंध में सूचना मांगी गई है कि वर्तमान में देशभर में प्रचलित विभिन्न प्रकार के सरकार प्राधिकृत शिक्षा पाठ्यक्रमों और शिक्षा बोर्डों का ब्यौरा क्या है और साथ ही क्या सरकार की देशभर में विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को एक समान बनाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन (पीओए), 1992 में शैक्षिक घटकों के साथ समान मूल्य सुनिश्चित करते हुए भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक वातावरण के सदृश्य सक्षम राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के माध्यम के रूप में स्कूली पाठ्यक्रम हेतु एक राष्ट्रीय पाठयचर्या कार्यढांचा(एनसीएफ) प्रस्तावित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक एनसीएफ पर आधारित होगी जिसमें अन्य लचीले घटकों सहित एक सामान्य पाठ्यक्रम होगा। सामान्य पाठ्यक्रम में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियों तथा राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अनिवार्य तत्व शामिल होंगे। ये मुद्दे विषयगत क्षेत्रों का हिस्सा होंगे और इनमें हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर, समतावाद, लोकतंत्र,

धर्मनिरपेक्षता, महिला-पुरूषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक बाधाओं का निवारण, परिवार छोटा रखना और वैज्ञानिक तरीके के अमल की जरूरत जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के अनुरूप रखे जाएंगे। शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित करना चाहिए। समानता को प्रोत्साहित करने के लिए, न केवल पहुंच में बल्कि सभी को सफलताओं की स्थिति में भी समान अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, समानता की मूलभूत जानकारी केन्द्रित पाठ्यचर्या द्वारा दी जाएगी।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा (एनसीएफ) - 2005

एनपीई ने पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तावित की ताकि वह ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विकास का जरिया बने जिसमें यह सामर्थ्य हो कि वह भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को दृष्टि में रखते हुए अकादमिक घटकों के साथ सामान्य आधारभूत मूल्य भी सुनिश्चित करें। "एनपीई-पीओए ने 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों का सर्वसुलभ नामांकन तथा सामान्य रूप से उन्हें स्कूलों में बनाए रखने और स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार के लिए बाल केन्द्रित उपागम का विचार प्रस्तुत किया था।" राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचे की विशेषता के रूप में प्रासंगिकता, लचीलापन तथा गुणवत्ता पर बल देते हुए पीओए ने एनपीई की इसी दृष्टि को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार इन दोनों दस्तावेजों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा की परिकल्पना शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के साधन के रूप में की है।

एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अधिदेश के रूप में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा विकसित किया गया है जो स्कूल के सभी चरणों में पाठ्यविवरण और पाठ्यपुस्तकों के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता है।

एनसीएफ-2005 के आधार पर एनसीईआरटी ने स्कूलिंग के विभिन्न चरणों में स्कूल के विषयों पर मॉडल पाठ्यचर्या बनाई है। निजी या सरकारी स्कूल या तो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड से संबद्ध हैं। शिक्षा, संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने और अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के तहत आने के नाते यह राज्य सरकार/संघ राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि वे अपने स्कूलों के पाठ्यचर्या बनाएं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) और राज्य शिक्षा बोर्ड या तो एनसीईआरटी के मॉडल पाठ्यविवरण और पाठ्यपुस्तकों को अपनाते हैं या एनसीएफ के आधार पर अपने स्वयं की पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें तैयार करते हैं। अब तक, 28 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों ने विभिन्न स्तरों पर एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों को अपनाया/के अनुकूल बनाया है। अन्य राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने एनसीएफ 2005 के दृष्टिकोण के अनुसार अपने पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं।

वर्तमान में, सरकार की देशभर में विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रमों को एक समान बनाने की कोई योजना नहीं है। इसका कारण यह है कि पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संसाधनों में विविधता होना वांछनीय है क्योंकि पूरे देश के लिए एक समान पाठ्यक्रम में स्थानीय संदर्भों, संस्कृति और भाषाओं को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। तथापि, एनपीई में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, संवैधानिक दायित्वों तथा राष्ट्रीय अस्मिता से संबंधित अनिवार्य तत्वों के साथ एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचे का प्रस्ताव किया गया है। ये तत्वों को भारत की समान सांस्कृतिक

धरोहर, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, महिला-पुरूषों के बीच समानता, पर्यावरण का संरक्षण, सामाजिक बाधाओं का निवारण, सीमित परिवार का महत्व और वैज्ञानिक तरीके के अमल की जरूरत जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया जाता है।

शिक्षा बोर्ड

स्कूल शिक्षा बोर्ड मूलत: विनियामक निकाय हैं जो अपनी सम्बद्ध संस्थाओं को निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति प्रदान करते हैं और उसके पश्चात विशेषरूप से माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाएं आयोजित करके शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन और निर्धारण करते हैं। माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता अंतत: संबंधित शिक्षा बोर्डों के समुचित कार्यकरण से जुड़ा हुआ है और इसमें हितधारकों की अधिक से अधिक जवाबदेही की आवश्यकता है।

शिक्षा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आती है और इसलिए, केन्द्र और राज्य सरकारों के पास इस विषय में कानून बनाने की शक्ति है। सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पास उनके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लोक परीक्षा आयोजित करने और प्रमाणपत्र जारी करने हेतु शिक्षा बोर्डों की स्थापना/मान्यता को विनियमित करने के लिए अधिनियम, नियम और विनियम, अनुदेश होने चाहिए।

जहां तक सरकारी शिक्षा बोर्डों का संबंध है, यह सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केवल दो राष्ट्रीय स्तरीय शिक्षा बोर्डों नामत: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) की स्थापना की है। मंत्रालय अन्य संस्थाओं द्वारा स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड को मान्यता अथवा स्वीकृति प्रदान नहीं करता। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के शिक्षा बोर्डों को संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए अधिनियमों, विनियमों, अनुदेशों इत्यादि के अनुसार स्थापित और मान्यता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों द्वारा स्थापित/मान्यताप्राप्त/स्वीकृत शिक्षा बोर्डों का विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2086

उत्तर देने की तिथि : 02.12.2019

अध्यापक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय

2086. श्रीमती गीताबेन वी॰ राठवाः

श्री शान्तनु ठाकुरः

श्री नारणभाई काछड़ियाः

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः

श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्य कर रहे शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों/महाविद्यालयों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् राज्यों में बी.एड महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या निजी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है तथा नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : दिनांक 31.03.2019 तक देश में कार्यात्मक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों/महाविद्यालयों की कुल संख्या 16728 है। राज्य-वार विवरण **संलग्नक** पर दिया गया है।

(ख) और (ग) : जी हां, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) नई शिक्षक शिक्षा संस्थाओं (टीईआई) में शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करके और बी.एड कार्यक्रम प्रदान करने वाली मौजूदा टीईआई में प्रवेश और अतिरिक्त क्षमता संवर्धन के संबंध में बी.एड कॉलेजों को मान्यता प्रदान करता है। एनसीटीई की क्षेत्रीय समितियों में प्राप्त आवेदनों पर एनसीटीई विनिमय, 2014 में निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) : एनसीटीई विनियम, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) शिक्षक शिक्षा संस्थाओं (टीईआई) के संचालन हेतु मानदंड और मानक निर्धारित करते हैं। इन विनियमों में निरंतर गुणवत्ता बनाए रखने की व्यवस्था हैं। एनसीटीई अधिनियम 1993 में किसी टीईआई द्वारा

मौजूदा विनियमों में निहित किन्हीं प्रावधानों का गैर-अनुपालन पाये जाने पर मान्यता वापस लिये जाने की व्यवस्था है। तदनुसार, एनसीटीई अधिनियम, 1993 और विनियम, 2014 दोनों टीईआई के गुणवत्तायुक्त कार्यकरण पर जोर देते है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2095

उत्तर देने की तिथि : 02.12.2019

स्कूल शिक्षा के लिए धनराशि

2095. श्री शंकर लालवानीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा प्रणाली को सुगम बनाने के लिए कौन से कार्यक्रम/योजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन कार्यक्रमों को आवंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित संपूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): विभाग ने वर्ष 2018-19 से पूर्व केंद्र-प्रायोजित योजनाओं नामत: सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और अध्यापक शिक्षा (टीई) का विलय करके समग्र शिक्षा नामक एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना शुरू की है। इस योजना में 'स्कूल' की स्कूल-पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सातत्य के रूप में परिकल्पना की गई है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किए गए केन्द्रीय भाग और व्यय की गई राशि का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्नक I पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मदरसों और मकतबों सहित सरकारी, सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों की कक्षा-। से VIII में पढ़ रहे बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराके पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिए मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की केंद्र-प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत जारी किए गए केन्द्रीय भाग और इसके व्यय का राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्नक -।। पर दिया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय मदरसों/ मकतबों को उनकी पाठ्यचर्या में आधुनिक विषय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु और अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्कूल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण/संवर्धन हेतु मदरसों/ अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान हेतु योजना (एसपीईएमएम) समग्र योजना का कार्यान्वयन भी कर रहा है। इस योजना में दो योजनाएं नामत: मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना (एसपीक्यूईएम) और अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई)) शामिल हैं। इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन किया जा रहा है। दोनों योजनाएं स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। 2014-15 से 16 राज्यों ने इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए हैं। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) के अंतर्गत जारी केंद्रीय भाग का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्नक - ।।। में दिया गया है।

कक्षा **VIII** में स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन जारी रखने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृतियां प्रदान करने केन्द्रीय सेक्टर की योजना ' राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर मौजूद इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के द्वारा सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में संवितरित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को किसी प्रकार का अनुदान प्रदान नहीं किया जाता।

(ग) और (घ) : निधियों का उपयोग किया जाना एक सतत प्रक्रिया है और विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान अव्ययित रही निधियों को अगले वर्ष के लिए आगे ले जाया जाता है।

******

संलग्नक-।

'स्कूल शिक्षा के लिए धनराशि' के संबंध में श्री शंकर लालवानी द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2095 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित संलग्नक

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान समग्र शिक्षा के अंतर्गत जारी किए गए केन्द्रीय भाग और किए गए व्यय को दर्शाने वाला राज्य और संघ राज्यक्षेत्रवार विवरण

(रू. लाख में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2018-19**		**2019-20**
		समग्र शिक्षा		**समग्र शिक्षा**
		जारी किया गया केन्द्रीय भाग	**व्यय***	**जारी किया गया केन्द्रीय भाग ** (तदर्थ + पहली किस्त)**
1	अंडमान निकोबार द्वीप	2180.33	1766.22	2001.90
2	आंध्र प्रदेश	95096.76	190605.61	80077.58
3	अरुणाचल प्रदेश	33048.8	41386.2	23874.17
4	असम	157072.23	162023.01	106872.63
5	बिहार	305837.73	558747.65	237515.28
6	चंडीगढ़	7714.56	6605.56	3956.81
7	छत्तीसगढ़	88206.43	152798.14	64441.40
8	दादरा और नगर हवेली	3462.38	3555.34	2237.37
9	दमन और दीव	631.22	835.22	133.51
10	दिल्ली	13981.74	35063.19	18797.80
11	गोवा	1353.03	2379.62	1143.12
12	गुजरात	67089.17	152861.67	66636.30
13	हरियाणा	57841.95	84409.09	47080.27
14	हिमाचल प्रदेश	43295.44	52079.51	35182.22
15	जम्मू और कश्मीर	171776.09	146445.4	3334.24
16	झारखंड	68596	130488.03	66463.81

17	कर्नाटक	62784	129923.72	51082.24
18	केरल	25604.99	39631.31	14741.54
19	लक्षद्वीप	265.07	217.79	292.62
20	मध्य प्रदेश	243783.65	359283.06	191166.59
21	महाराष्ट्र	95051.92	146341.28	69819.40
22	मणिपुर	25202.01	25683.1	16227.55
23	मेघालय	23784.62	36708.57	24217.99
24	मिजोरम	14630.41	17081.83	10125.71
25	नागालैंड	19766.33	17516.7	10773.19
26	ओडिशा	123021.51	260807.8	133487.50
27	पुडुचेरी	804.88	2189.42	305.80
28	पंजाब	44400	82829.07	18290.63
29	राजस्थान	262721.45	361782.35	197623.20
30	सिक्किम	6624.19	9998.24	5932.93
31	तमिलनाडु	147444.01	246585.47	118615.61
32	तेलंगाना	68840.41	108529.98	56244.15
33	त्रिपुरा	24896.48	29210.96	15927.09
34	उत्तर प्रदेश	462541.04	684631.1	246588.01
35	उत्तराखंड	51138.26	47717.44	28234.75
36	पश्चिम बंगाल	108934.52	199768.38	117389.02
	कुल	**2929423.61**	**4528487.03**	**2086833.93**

* प्राप्त केंद्रीय भाग, राज्य भाग, अव्ययित शेष और विविध आय यदि कोई हो के संबंध में, राज्यों द्वारा पीएमएस पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार व्यय

** 15-11-2019 को जारी निधियां (तदर्थ + पहली किस्त)

*****

संलग्नक -II

स्कूल शिक्षा के लिए धनराशि' के संबंध में श्री शंकर लालवानी द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2095 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित संलग्नक

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आवंटित/जारी केन्द्रीय सहायता और उनका उपयोग

(रू.लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	आबंटित/जारी की गई केन्द्रीय सहायता	उपयोगिता	आबंटित/जारी की गई केन्द्रीय सहायता (19.11.2019 के अनुसार)
		2018-19		2019-20
1	आंध्र प्रदेश	25748.17	24891.49	14525.26
2	अरुणाचल प्रदेश	2506.03	2585.01	1403.47
3	असम	51982.21	53532.38	32386.64
4	बिहार	112448.94	110854.76	63822.76
5	छत्तीसगढ़	32085.98	28308.86	12969.91
6	गोवा	1309.07	1252.43	732.55
7	गुजरात	42351.63	35897.83	20816.63
8	हरियाणा	13218.95	11221.87	5058.67
9	हिमाचल प्रदेश	8021.30	8018.81	4206.69
10	जम्मू और कश्मीर	10665.80	8598.72	2666.45
11	झारखंड	33242.99	29287.08	18309.02
12	कर्नाटक	40707.67	43358.74	33112.54
13	केरल	19856.63	19477.55	11278.63
14	मध्य प्रदेश	56191.95	56434.57	27231.81
15	महाराष्ट्र	98185.46	82533.91	55254.54

16	मणिपुर	2050.81	2151.03	1210.51
17	मेघालय	7734.39	7119.85	4452.84
18	मिजोरम	1889.23	1862.79	1051.18
19	नगालैंड	2861.95	2208.58	1339.14
20	ओडिशा	39556.93	38228.53	21001.96
21	पंजाब	15249.99	14605.25	6927.95
22	राजस्थान	42043.30	42136.34	27738.36
23	सिक्किम	881.15	865.16	469.16
24	तमिलनाडु	42054.58	41859.94	24594.31
25	तेलंगाना	15757.34	16833.58	10187.74
26	त्रिपुरा	5339.03	4998.50	2834.32
27	उत्तराखंड	9478.27	9290.60	4827.94
28	उत्तर प्रदेश	112771.60	110736.90	68058.66
29	पश्चिम बंगाल	91710.01	101761.25	62050.29
30	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	584.78	376.49	235.69
31	चंडीगढ़	1062.83	652.73	588.31
32	दादरा और नगर हवेली	933.22	562.83	343.73
33	दमन और दीव	304.07	284.31	154.99
34	दिल्ली	9808.38	9470.37	5997.39
35	लक्षद्वीप	124.63	97.86	59.36

36	पुडुचेरी	515.51	394.63	118.13
कुल (लाख में)		**951235**	**922752**	**548018**

संलग्नक -III

स्कूल शिक्षा के लिए धनराशि' के संबंध में श्री शंकर लालवानी द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2095 के उत्तर के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित संलग्नक

2018-19 और 2019-20 मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीईएमएम) के अंतर्गत आबंटित/जारी केन्द्रीय सहायता

(रू. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्र**	**केन्द्रीय निधियां 2018-19**		**जारी केन्द्रीय निधियां 2019-20**
		एसपीक्यूईएम	**आईडीएमआई**	**एसपीक्यूईएम**
1	छत्तीसगढ़	209.67	---	---
2	केरल	---	31.685	---
3	मध्य प्रदेश	567.123	---	---
4	मणिपुर	---	25	---
5	मिजोरम	---	82.39	---
6	त्रिपुरा	147.6	---	---
7	उत्तर प्रदेश	491.444	218.25	5912.088
8	उत्तराखंड	51.84	---	---
कुल		1467.677	357.325	5912.088

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2142

उत्तर देने की तारीख : 02.12.2019

केन्द्रीय विद्यालय कर्मचारियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड

†2142. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) अपने कर्मचारियों को वरिष्ठ/सेलेक्शन वेतनमान प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान केवीएस, दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत पात्र पुस्तकालयाध्यक्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवीएस कर्मचारियों को वरिष्ठ/सेलेक्शन ग्रेड प्रदान करने में विलंब के मामले भी सामने आए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या केवीएस दिल्ली क्षेत्र में पुस्तकालयाध्यक्षों को वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने की जांच हेतु एक विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा केवीएस कर्मचारियों को समय से वरिष्ठ/सेलेक्शन वेतनमान प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविएस) के शिक्षण स्टाफ को अन्य अपेक्षित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन ग्रेड में नियमित सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के पश्चात वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किया जाता है| सेलेक्शन वेतनमान भी संबंधित कैडर के वरिष्ठ वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात् प्रदान किया जाता है| तथापि, सेलेक्शन वेतनमान देने के लिए संबंधित कैडर में वरिष्ठ वेतनमान में 20% पदों का प्रावधान किया गया है|

(ख) केविएस ने सूचित किया है कि केविएस, दिल्ली क्षेत्र में कोई पुस्तकालयाध्यक्ष नहीं है, जिसका सेलेक्शन वेतनमान 31.12.2019 से पहले देय हो| तथापि, सुश्री कल्पना पाल (केवि, सैनिक विहार) और श्री मुकेश शर्मा (केवि, अशोक विहार) पुस्तकालयाध्यक्षों को वरिष्ठ वेतनमान प्रदान किए जाने का मामला, निर्धारित तारीख से पहले 21 दिनों के अनिवार्य सेवाकालीन पाठ्यक्रम में भाग न लेने के कारण अगली विभागीय प्रोन्नति समिति (डीपीसी) के लिए स्थगित कर दिया गया था|

(ग) सरकार के नोटिस में ऐसा कोई मामला नहीं आया है|

(घ) और (ड.) वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने के लिए सभी श्रेणियों के पात्र शिक्षकों (पुस्तकालयाध्यक्षों सहित) के मामलों पर विचार करने के लिए दिल्ली क्षेत्र, केविएस में निम्नलिखित संयोजन के साथ एक डीपीसी गठित की गई है:

उप आयुक्त	अध्यक्ष
सहायक आयुक्त	सदस्य

प्रशासनिक अधिकारी	सदस्य
वित्त अधिकारी	सदस्य
अनुभाग अधिकारी	सदस्य सचिव

(च) कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता और पात्रता के अनुसार वरिष्ठ वेतनमान/सेलेक्शन वेतनमान समय से प्रदान करना सुनिश्चित करने हेतु, केविएस ने सूचित किया है कि डीपीसी की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है| पिछली बैठक 23.10.2019 को हुई थी|

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2093

उत्तर देने की तारीख : 02.12.2019

केन्द्रीय विद्यालय में रिक्तियां

2093. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों (केवी) में अध्यापकों की कमी का कक्षा दस से बारहवीं के दोनों पाली के छात्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो देश में आज की तारीख तक राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं तथा सरकार द्वारा इन्हें भरने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा स्थापित ई.क्लासरूम जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाए थे; काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अध्यापक इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं या इनमें से अधिकांश कार्यशील नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा अध्यापकों द्वारा ई-क्लास रूम का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या सख्त कार्रवाई की गई है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविएस) ने सूचित किया है कि दिनांक 15.11.2019 तक, देश में विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों (केवि) में संस्वीकृत 48236 पदों में से 5949 शिक्षण पद खाली पड़े हुए हैं| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न है| रिक्तियों का भरा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है तथा पदों को भरे जाने हेतु संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर कार्रवाई की जाती है| केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अस्थायी अवधि के लिए अनुबंध आधार पर भी शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है ताकि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया बाधित न हो|

(ख) और (ग) जी नहीं| गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से केंद्रीय विद्यालयों में स्थापित ई-कक्षाओं का शिक्षकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है| शिक्षकों द्वारा विकसित और ओपन सोर्स से उपलब्ध ई-सामग्री का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को समृद्ध करने के लिए विषय और शीर्षक की जरूरत के अनुसार उपयोग किया जा रहा है|

*****

संलग्नक

माननीय संसद सदस्य श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्खे, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री कुलदीप राय शर्मा और डॉ. सुभाष रामराव भामरे द्वारा दिनांक 02 दिसंबर, 2019 को उठाए गए अतारांकित प्रश्न सं. 2093 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संग्लन

केंद्रीय विद्यालयों में दिनांक 15.11.2019 तक शिक्षण स्टाफ के स्वीकृत पदों, भरे हुए और रिक्त पदों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिक्षण स्टाफ		
		संस्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	108	97	1 1
2	आंध्र प्रदेश	1189	989	200
3	अरुणाचल प्रदेश	443	354	89
4	असम	2117	1750	367
5	बिहार	1825	1625	200
6	चंडीगढ़	286	272	14
7	छत्तीसगढ़	1205	981	224
8	दादरा एवं नगर हवेली	38	33	5
9	दमन और दीव	23	19	4
10	दिल्ली	3651	3514	137
1 1	गोवा	202	164	38
12	गुजरात	1558	1379	179
13	हरियाणा	1246	1171	75
14	हिमाचल प्रदेश	680	591	89
15	जम्मू और कश्मीर	1115	860	255
16	लेह	30	19	1 1
17	झारखंड	1216	1074	142
18	कर्नाटक	1982	1722	260
19	केरल	1795	1598	197
20	लक्षद्वीप	22	16	6
21	मध्य प्रदेश	3994	3468	526
22	महाराष्ट्र	2835	2513	322
23	मणिपुर	262	207	55
24	मेघालय	230	193	37
25	मिजोरम	95	69	26
26	नागालैंड	144	103	41
27	ओडिशा	2004	1665	339
28	पुडूचेरी	146	117	29
29	पंजाब	1926	1662	264
30	राजस्थान	2635	2440	195
31	सिक्किम	54	41	13
32	तमिलनाडु	1927	1634	293
33	तेलंगाना	1277	1099	178

34	**त्रिपुरा**	**262**	**213**	**49**
35	**उत्तर प्रदेश**	**5711**	**5154**	**557**
36	**उत्तराखंड**	**1615**	**1420**	**195**
37	**पश्चिम बंगाल**	**2388**	**2061**	**327**
	कुल	**48236**	**42,287**	**5949**

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2097

उत्तर देने की तारीख : 02.12.2019

सकल नामांकन अनुपात

2097. श्री राजेन्द्र अग्रवालः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान समग्र सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) क्या है;

(ख) क्या यह चीन जैसे पड़ोसी देशों की तुलना में अधिक या कम है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात के सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), 2018-19 के अनुसार, भारत में उच्च शिक्षा का मौजूदा सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 26.3 है|

(ख): चीन और अन्य पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में उच्च शिक्षा का मौजूदा सकल नामांकन अनुपात निम्नवत है:-

देश	**सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)**	**वर्ष**
चीन	50.6	2018
भारत	28.06	2018
अफगानिस्तान	9.68	2018
बांग्लादेश	20.5	2018
भूटान	15.5	2018
नेपाल	12.41	2018
श्रीलंका	19.63	2018
पाकिस्तान	9.08	2018

स्रोत: यूनेस्को सांख्यकी संस्थान (यूआईएस)

उच्चतर शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) की गणना यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (यूआईएस) द्वारा 18-22 वर्ष के आयु समूह के लिए की जाती है जबकि एआईएसएचई 18-23

वर्ष के आयु समूह के लिए जीईआर की गणना करता है जिसके कारण यूआईएस और एआईएसएचई द्वारा की गई गणना के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा के जीईआर में अंतर है|
चीन और अन्य विकसित देशों की तुलना में निम्न जीईआर के लिए मुख्य कारण वरिष्ठ माध्यमिक से उच्चतर शिक्षा प्रणाली में छात्रों की निम्न संक्रमण दर के अलावा, भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक विषमता का मुद्दा भी है|
(ग): सरकार ने उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
(i) मुक्त और दूरस्थ अधिगम के लिए नए यूजीसी विनियम जारी करना जिसमें दूरस्थ मोड में शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थाओं के प्रवेश को अनुमति दी गई है|
(ii) आईसीटी प्रौद्योगिकी - स्वयम पोर्टल का उपयोग ताकि सर्वाधिक वंचित वर्गों सहित सभी सर्वोत्तम शिक्षण संसाधन प्राप्त कर सकें|
(iii) केंद्र द्वारा वित्तपोषित अन्य संस्थाएं खोलना|
(iv) राज्य सरकार को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के माध्यम से संस्थाएं के खोलने के लिए प्रेरित करना जिसका लक्ष्य उच्च शिक्षा में समता, पहुँच और उत्कृष्टता को प्राप्त करना है| योजना स्वायत्त कॉलेजों को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने, विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए कॉलेजों की क्लस्टरिंग, असेवित और अल्प-सेवित क्षेत्रों में नए व्यावसायिक कॉलेजों की स्थापना करने के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और कॉलजों की क्षमता बढ़ाने के लिए अवसंरचना अनुदान प्रदान करने जैसे घटकों को सहायता प्रदान करती है|
(v) शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अधिक छात्रवृत्ति कार्यक्रम|

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2083

उत्तर देने की तारीख : 02.12.2019

एनसीपीयूएल

†2083. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने उर्दू भाषा को बढ़ावा देने तथा इसका विकास और प्रसार करने के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद् (एनसीपीयूएल) स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिषद् ने तेलंगाना में कार्य करना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): जी हां| राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) की स्थापना सरकार द्वारा वर्ष 1996 में उर्दू भाषा के संवर्धन, विकास और प्रसार करने हेतु एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी| इस प्रयोजन से, परिषद् तेलंगाना सहित पूरे देश में निम्नलिखित योजनाएं/प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है:

1. कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिज़नेस एकाउंटिंग और मल्टीलिंग्वल डेस्क टॉप पब्लिशिंग (सीएबीए- एमडीटीपी) में एक वर्षीय डिप्लोमा|
2. कैलीग्राफी और ग्राफ़िक डिज़ाइन में दो वर्षीय डिप्लोमा
3. उर्दू भाषा में एक वर्षीय डिप्लोमा
4. व्यावसायिक पाठ्यक्रम (कौशल विकास और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करना|
5. प्रेस संवर्धन (लघु और मध्यम उर्दू समाचारपत्रों को वित्तीय सहयोग)|
6. संगोष्ठियों/व्याख्यान श्रंखलाओं, मुशायरा, पांडुलिपियों के प्रकाशन/पुस्तकों की व्यापक खरीद आदि के के लिए वित्तीय सहायता|
7. उर्दू भाषा में पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन|
8. शब्दकोशों, पारिभाषिक शब्दावलियों, विश्वकोष आदि पर शैक्षणिक परियोजनाएं|
9. अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन और राष्ट्रीय सम्मलेन आयोजित करना|
10. उर्दू पत्रकारिता के क्षमता निर्माण पर कार्यशाल|
11. पूरे देश में पुस्तक मेले और प्रदर्शनी के आयोजन/प्रतिभागिता द्वारा उर्दू पुस्तकों की बिक्री के माध्यम से पुस्तक संवर्धन|

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2131

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

2131. श्री जय प्रकाशः

श्री फिरोज़ वरुण गांधी:

प्रो. सौगत रायः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के निदेश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का विचार पेशेवर शिक्षा में कैपिटेशन फीस प्रभारित करने की प्रथा या निजी मानद विश्वविद्यालयों द्वारा लाभ कमाने के किसी अन्य रूप को समाप्त करने के लिए विधान लाने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की जांच या विचार किस स्तर पर किया जा रहा है; और
(ग) सरकार द्वारा इसके निर्णय की घोषणा कब तक की जाएगी?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): जी, हां। निजी सम-विश्वविद्यालय में फीस को विनियमित करने और प्रतिव्यक्ति शुल्क पर रोक लगाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मसौदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त सम-विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा दी जा रही व्यवसायिक शिक्षा में फीस) विनियमन, 2019 तैयार किया है। इन विनियमों को सभी हितधारकों से टिप्पणी प्राप्त करने के लिए यूजीसी वेबसाइट पर रखा जा रहा है। इन विनियमों पर अंतिम निर्णय सभी हितधारकों से टिप्पणी प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा।

****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2171

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2171. श्री संतोष पान्डेयः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है;
(ख) इनकी प्रथम नियुक्ति के समय उक्त संविदात्मक कर्मचारियों हेतु विहित वेतन-मान क्या है;
(ग) क्या उपरोक्त कर्मचारियों का वेतनमान इनकी नियुक्ति के समय विगत में नियुक्ति के अगले चरण से कम निर्धारित किया गया था;
(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में ऐसे प्रावधान हैं;
(ङ) क्या मध्य प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा उक्त कर्मचारियों के ईपीएफ की कटौती की जा रही थी जबकि छत्तीसगढ़ में यह नहीं काटा जा रहा है; और
(च) यदि हां, तो ऐसी विसंगति के क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (च): राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के तहत कार्य करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 167 थी जिन्हें एसएसए द्वारा लिया गया था। शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है, अत: शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और नियुक्ति संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2165

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

शिक्षा के अधिकार के तहत प्रति शिशु लागत

2165. श्री दुष्यंत सिंहः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा12(1)(ग) के तहत राज्यों द्वारा दावा की गई प्रतिपूर्ति कितनी है और विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र द्वारा प्रतिपूरित ध्नराशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत राज्यों को की गई प्रतिपूर्ति की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो राज्यों द्वारा दावा की गई धनराशि और केन्द्र द्वारा प्रतिपूरित धनराशि में अंतर के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई समीक्षा करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश विद्यालय संबंधित राज्य और संघ राज्यक्षेत्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम की धारा 12(1) (ग) के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए प्रति बच्च लागत मानक अधिसूचित करना अपेक्षित है।

आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25 प्रतिशत दाखिलों के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए अनुमोदित कुल वार्षिक कार्ययोजना और बजट के अधिकतम 20 प्रतिशत सीमा के अधीन कक्षा 1 और उच्चतर कक्षाओं में प्रवेश के लिए समग्र शिक्षा के तहत सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रयोजनार्थ प्रतिपूर्ति, राज्यों द्वारा स्कूलों को किए गए वास्तविक भुगतान के प्रमाण पर आधारित है।

आरटीई अधिनियम की धारा 7 (1) के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए निधियां प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का साझा दायित्व है। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम की धारा 7 (5) में यह कहा गया है कि राज्य सरकार, किसी राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा प्रदान की गई धनराशि को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए निधियां प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी। विगत 3 वर्षों के दौरान आरटीई अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) के तहत दावा की गई राशि और केन्द्र द्वारा अनुमोदित राशि का राज्य-वार विवरण और दावा की गई राशि एवं अनुमोदित राशि के बीच अंतर के कारण **संलग्नक** पर दिए गए हैं।

संलग्नक

"शिक्षा के अधिकार के तहत प्रति शिशु लागत" के संबंध में माननीय संसद सदस्य, श्री दुष्यंत सिंह द्वारा दिनांक 02 दिसंबर, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2165 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2017-18 में धारा 12 (1)(ग) के तहत प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि

क्र.सं.	राज्य	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)	अनुमोदित राशि (रूपये लाख में)	अंतर के कारण
1	बिहार	6057.07	00.00	राज्य ने निजी विद्यालयों को इस राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की है इसलिए इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया था।
2	छत्तीसगढ़	3184.92	00.00	
3	दिल्ली	7351.31	00.00	
4	गुजरात	11374.35	00.00	
5	झारखंड	1000.00	00.00	
6	कर्नाटक	28762.09	18246.75	कक्षा 1 और उच्चतर के लिए यथा प्रस्तावित अनुमोदित। मानकों के अनुसार नर्सरी कक्षाओं के लिए राशि का अनुमोदन नहीं किया गया।
7	मध्य प्रदेश	14919.6	14919.6	अनुमोदित, जैसा प्रस्तावित था।
8	महाराष्ट्र	1400.00	1400.00	
9	ओडिशा	35.11	35.11	
10	राजस्थान	12453.41	12453.41	
11	तमिलनाडु	12570.00	00.00	राज्य ने निजी विद्यालयों को इस राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की है इसलिए इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया था।
12	त्रिपुरा	406.48	00.00	राज्य ने निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला शुरू नहीं किया है।
13	उत्तर प्रदेश	1166.29	00.00	राज्य ने निजी विद्यालयों को इस राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की है इसलिए इस प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया था।
14	उत्तराखंड	8189.4	3950.42	कक्षा 1 और उच्चतर में बच्चों के लिए निजी विद्यालयों को की गई प्रतिपूर्ति की राशि का

				अनुमोदन किया गया था।
	कुल	**108870.03**	**51005.29**	

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2018-19 में धारा 12 (1)(ग) के तहत प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि

क्र.सं.	**राज्य**	**प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)**	**अनुमोदित राशि (रूपये लाख में)**	**अंतर के कारण**
1	बिहार	9000.3	9000.3	अनुमोदित जैसाकि प्रस्ताव था। 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए प्रतिपूर्ति इस राशि में शामिल है।
2	चंडीगढ़	68.45	2.959	प्रस्ताव वास्तविक खर्च पर आधारित नहीं था किंतु प्रत्याशा पर आधारित था। संघ राज्य क्षेत्र ने कक्षा 1 और उच्चतर में बच्चों के दाखिले के लिए ही निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को कुल 2.95 लाख राशि की प्रतिपूर्ति की है। यह राशि अनुमोदित थी।
3	छत्तीसगढ़	29500.35	14030.29	राज्य द्वारा कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति की गई राशि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी।
4	दिल्ली	5252.26	5252.26	यथा प्रस्तावित अनुमोदित
5	गुजरात	10584.05	7033.46	कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदित
6	झारखंड	293.445	241.84	
7	कर्नाटक	33014.1	29318.6	
8	मध्य प्रदेश	35739.50	18712.12	वह राशि अनुमोदित जिसकी कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को वास्तव में राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी।
9	महाराष्ट्र	74675.73	24427.949	
10	ओडिशा	88.33	88.33	यथा प्रस्तावित अनुमोदित
11	राजस्थान	23582.50	23581.55	
12	तमिलनाडु	9900.04	2769.99	कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए राज्य द्वारा निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को वास्तविक प्रतिपूर्ति के अनुसार अनुमोदित
13	उत्तर प्रदेश	2494.15	653.59	
14	उत्तराखंड	5000.22	4714.644	कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदित
	कुल	**239193.41**	**139827.90**	

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 2019-20 में धारा 12 (1)(ग) के तहत प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि

क्र.सं.	राज्य	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)	अनुमोदित राशि (रूपये लाख में)	अंतर के कारण
1	बिहार	14819.47	00.00	राज्य ने निजी स्कूलों को राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की है अत: प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया।
2	चंडीगढ़	180.924	00.00	
3	छत्तीसगढ़	16980.07	4949.6	कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदित
4	दिल्ली	11546.93	6294.308	राज्य के प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष अनुमोदित 5252.26 लाख रूपये शामिल थे। अत: शेष 6294.308 लाख रूपये अनुमोदित किए गए।
5	गुजरात	28056.6	14218.16	कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदित
6	हिमाचल प्रदेश	6.65	00.00	राज्य ने निजी स्कूलों को राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की है अत: प्रस्ताव अनुमोदित नहीं किया गया।
7	झारखंड	835.28	716.295	कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदित
8	कर्नाटक	19963.76	14859.00	
9	मध्य प्रदेश	33043.24	24000.78	कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए राज्य द्वारा निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को वास्तविक प्रतिपूर्ति के अनुसार अनुमोदित
10	महाराष्ट्र	36428.42	12000.00	
11	ओडिशा	88.333	88.333	यथा प्रस्तावित अनुमोदित
12	राजस्थान	17424.83	17424.93	
13	तमिलनाडु	17952.184	7078.406	कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए राज्य द्वारा निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को वास्तविक प्रतिपूर्ति के अनुसार अनुमोदित
14	उत्तर प्रदेश	4173.21	2586.516	
15	उत्तराखंड	5999.69	5786.355	कक्षा 1 और उससे ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदित
	कुल	**207499.591**	**110002.68**	

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2162

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

ट्रांसजेंडर छात्र

2162. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे ट्रांसजेंडर छात्रों की संख्या का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे ट्रांसजेंडर शिक्षकों की संख्या का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत ट्रांसजेंडर गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या का विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान उच्चतर शिक्षा में ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) इस हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): जैसा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा सूचित किया गया है,+ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) जहां पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल 814 ट्रांसजेंडर छात्रों को नामांकित किया गया है, को छोड़कर इन विश्वविद्यालयों में कोई ट्रांसजेंडर छात्र अध्ययनरत नहीं है। देश के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कोई ट्रांसजेंडर शिक्षण और गैर शिक्षण स्टाफ नहीं है।
(घ) और (ड.): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतर शिक्षा में ट्रांसजेंडर समुदाय की भागीदारी में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की हैं:
1. यूजीसी द्वारा संचालित सभी योजनाओं के फार्म/प्रोफार्मा में सामान्य श्रेणी में ट्रांसजेंडर हेतु कॉलम का प्रावधान।
2. यूजीसी ने विश्वविद्यालय को समय-समय पर सूचित किया है कि:
(क) उनके और उनके संबंधन वाले कॉलेजों द्वारा संसाधित सभी आवेदन पत्र/ शैक्षिक दस्तावेज और अन्य सभी दस्तावेजों में ट्रांसजेंडर श्रेणी के लिए कॉलम शामिल हो;

(ख) यूजीसी की विभिन्न छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति योजनाओं के तहत ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर के रूप में शामिल करना;

(ग) छात्रों को बिना डर, स्टिग्मा या शर्म के पर्याप्त अनुकूल बनाने के लिए अन्य सकारात्मक कार्रवाई करना;

(घ) संकाय सदस्यों को ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन और संस्कृति पर यूजीसी द्वारा वित्त पोषित मुख्य शोध परियोजनाओं को करने हेतु प्रोत्साहित करना;

(ड.) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों के लिए कार्रवाई योजना बनाना।

3. ट्रांसजेंडर समुदाय को इसी श्रेणी के तहत यूजीसी नेट परीक्षा में बैठने हेतु फीस, आयु, पात्रता शर्तों और योग्यता मानदंडों में वही छूट दी जाए जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूडी श्रेणी को उपलब्ध है।

****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2098

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

आईआईएम, आईआईएसईआर और आईआईटी

2098. डॉ जी॰ रणजीत रेड्डीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने तेलंगाना में आईआईएम, आईआईएसईआर और आईआईटी की स्थापना हेतु कोई ज्ञापन सौंपा है;
(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रस्ताव के कई वर्षों तक मंत्रालय के समक्ष लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और
(ग) तेलंगाना में इन संस्थानों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और ये संस्थान कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): तेलंगाना के मुख्यमंत्री से तेलंगाना राज्य में एक आईआईएम और आईआईएसईआर स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2169

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

संस्कृत समाचारपत्रों की दुर्दशा

2169. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

श्री रघु राम कृष्ण राजूः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने संस्कृत समाचारपत्रों की दुर्दशा का संज्ञान लिया है जो कि देश में संस्कृत भाषा की महिमा को पुनर्जीवित करने के प्रधानमंत्री के अभियान के बावजूद बढ़ती ही जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दर्जन भर संस्कृत समाचारपत्र संरक्षण और वित्तीय सहायता के अभाव में बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) क्या सरकार के पास संस्कृत समाचारपत्रों को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में संस्कृत समाचारपत्रों की पहचान को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): सरकार को संस्कृत समाचार पत्रों की दुर्दशा की जानकारी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (आरएसकेएस), दिल्ली संस्कृत ज्ञान के संवर्द्धन से संबंधित सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। आरएसकेएस "प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता, दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों का पुन:मुद्रण और संस्कृत पुस्तकों की थोक खरीद" हेतु योजना के तहत प्रकाशकों को सहायता प्रदान करता है। संस्कृत भाषा में केवल चार समाचार पत्र हैं। एक समाचार पत्र नामत: 'सुधर्मा' प्रतिदिन संस्कृत भाषा में प्रकाशित किया जाता है। दो समाचार पत्र नामत: "संस्कृत संवाद" और 'वाक' पाक्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं और एक समाचार पत्र नामत: अमृतभाषा मासिक आधार पर प्रकाशित किये जाते हैं। इन सभी समाचार पत्रों को आरएसकेएस द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2177

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

शिक्षकों को प्रशिक्षण

†2177. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उपलब्ध वर्तमान व्यवस्था और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए निजी एजेंसियों की सेवाएं ली जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या ऐसे निजी प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यकरण के लिए कोई दिशानिर्देश हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ) : समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को धनराशि प्रदान की जाती है। शिक्षक प्रशिक्षण पूर्व प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षकों के सभी स्तरों के लिए प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) अपने 6 क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करता है और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शुरू करता है। राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) विभिन्न राज्य एजेंसियों की सकारात्मक भागीदारी के साथ समेकित वार्षिक शिक्षक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करता है और यह प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी है।

हाल ही में, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2019-20 में केंद्रीय प्रायोजित योजना - समग्र शिक्षा योजना के तहत एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नामत: निष्ठा-राष्ट्रीय स्कूल प्रमुख और शिक्षक समग्र विकास पहल के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अधिगम सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2091

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

एनसीईआरटी की पुस्तकों की समीक्षा

2091. डॉ॰ टी॰ आर॰ पारिवेन्धर:

श्री ए॰ गणेशमूर्ति:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद स्कूल पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (एनसीएफ) की समीक्षा की प्रक्रिया में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की समीक्षा की आवश्यकता और जरूरत क्या है; और

(घ) उक्त प्रक्रिया कब तक पूरी और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ), 2005 की समीक्षा करने के लिए उचित कदम उठाने का परामर्श दिया गया है। एनसीईआरटी ने तदनुसार, अगले पाठ्यक्रम सुधार के लिए पाठ्यक्रम मुद्दों पर आंतरिक विचार-विमर्श का आयोजन किया। तथापि, इस बीच, इस प्रयोजन हेतु गठित समिति से मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 प्राप्त हुई है। एनसीएफ की समीक्षा हेतु आगे की कार्रवाई नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने और अनुमोदन पर निर्भर करेगी।

(ग) : मौजूदा एनसीएफ ने लगभग 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन वर्षों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मोर्चे पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जो स्कूल पाठ्यक्रम में प्रदर्शित भी होना चाहिए। इसलिए सरकार ने देश के बच्चों को प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीएफ को अद्यतन करने के विचार से इसकी समीक्षा का निर्णय किया है।

(घ) : पाठ्यचर्या का संशोधन नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने और अनुमोदन पर निर्भर करेगा। अत: इस उद्देश्य के लिए इस स्तर पर कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2094

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

बिहार में केन्द्रीय विद्यालय

†2094. डॉ॰ आलोक कुमार सुमनः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बिहार के गोपालगंज जिले सहित बड़ी संख्या में केन्द्रीय विद्यालय अस्थायी भवनों में कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या के॰वी॰एस॰ ने भूमि की पहचान करने हेतु प्रायोजक प्राधिकरण से चर्चा करके पट्टा संबंधी औपचारिकताएं तथा सभी आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करके उक्त जिले में केन्द्रीय विद्यालयों के लिए स्थायी भवन का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) यदि हां, तो गोपालगंज में भवन निर्माण के लिए कुल कितनी धनराशि जारी की गई है; और
(घ) क्या सरकार ने स्वयं के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : बिहार राज्य में 48 केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में से 17 केवी नामत: बेला, हरनौत, झाझा, लखीसराय, बक्सर, मोतीहारी, सिवान, बंका, छपरा, एएफएस (पूर्णिया), सीआरपीएफ (झापन), गोपालगंज, हाजीपुर, दरबंगा, बरौनी, औरंगाबाद और महाराजगंज अस्थायी भवन में चलाए जा रहे हैं।

(ख) से (घ) : केवी के लिए स्थायी भवन निर्माण के लिए प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में भूमि का अंतरण पूर्वापेक्षा है। विभिन्न तारीखों अर्थात 26.4.2013, 26.8.2014, 17.6.2015, 29.6.2017, 22.12.2017, 6.2.2018, 7.3.2018, 19.6.2019 और 9.10.2019 को भेजे गए पत्रों के माध्यम से लगातार अनुरोध के बावजूद बिहार राज्य सरकार ने केवीएस के पक्ष में भूमि का आवश्यक अंतरण नहीं किया है और इसलिए केवी, गोपालगंज के लिए स्थायी भवन के निर्माण के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2149

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

केंद्रीय विद्यालय शिक्षकों के लिए पेंशन का लाभ

†2149. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मार्च, 2019 में सेवानिवृत्त हुए भोपाल के केंद्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को उपदान और कम्युटिड पेंशन की धनराशि मिली है;

(ख) यदि नहीं, तो सात महीनों के बाद भी विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) सेवानिवृत्त होने वाले सभी शिक्षकों को बिना विलंब के उपदान और कम्युटिड पेंशन की धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख) : भोपाल क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों से मार्च, 2019 में सेवानिवृत्त शिक्षकों को अपर्याप्त बजटीय आवंटन के कारण उपदान और सारांशीकृत पेंशन की धनराशि नहीं मिली है।

(ग) : सभी शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के समय बिना विलंब के उनके सेवानिवृत्त लाभ का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए निधि की आवश्यकता को उस वर्ष के लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान मंगाते हुए अनुमानित किया जाता है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2081

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

एनईईटी

2081. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

श्री थोमस चाज़िकाडनः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल राज्य से 'नीट'-पीजी. (एनईईटी-पी.जी.) परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की कुल संख्या की एक सूची तैयार की है तथा राज्य में परीक्षा हेतु आबंटित किए गए परीक्षा केन्द्रों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल राज्य में परीक्षा केन्द्रों की कमी के कारण अनेक छात्रों को पड़ोसी राज्यों में परीक्षा केन्द्र आवंटित किए गए थे;

(ग) क्या छात्रों द्वारा उठाई गई परेशानियों को कम करने के लिए मंत्रालय का राज्य में नीट-पी॰जी॰ परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रों की संख्या बढ़ाने की योजना/प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : जी, हां। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से सूचना एकत्र की गई है और सूचना के अनुसार केरल में एनईईटी-पीजी 2019 के लिए 10637 उम्मीदवार नियत थे। परीक्षा 12 शहरों में 57 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई।

(ख) : जी, नहीं। केरल का विकल्प देने वाले अथवा केरल राज्य में रहने वाले सभी उम्मीदवारों को एनईईटी-पीजी 2019 में केरल राज्य में केंद्र आबंटित किया गया था।

(ग) और (घ) : एनईईटी-पीजी 2020 के लिए केरल राज्य के 12 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। केरल राज्य के लिए कुल 11851 परीक्षा सीटें आवंटित की गई हैं जो एनईईटी-पीजी 2019 की तुलना में 1214 अधिक हैं। केरल राज्य में पिछले वर्ष की तुलना में उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, एनईईटी-पीजी 2020 में अतिरिक्त परीक्षा केंद्र आबंटित किए जाएंगे ताकि केरल राज्य के अधिकांश आवेदकों को राज्य में ही समायोजित किया जा सके।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2141

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

विद्यालयों में सुविधाएं

†2141. डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः

श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः

श्री हेमन्त पाटिलः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों में आधारभूत अवसंरचना के विकास हेतु जारी निधि का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास आधारभूत अवसंरचना के लिए जारी निधि के समुचित उपयोग की जांच हेतु कोई तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने धनराशि का उपयोग करने में विफल रहने वाले या धनराशि का उपयोग करने के पश्चात कार्य करने में असमर्थ रहने वाले प्रधानाचार्यों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्रवाई की है;

(ग) क्या अधिकतर केन्द्रीय विद्यालयों में बालिकाओं हेतु शौचालय की दशा अच्छी नहीं है जिसके कारण बालिकाओं को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : भारत सरकार केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) को राज्य वार धनराशि आवंटित नहीं करती है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केवीएस को अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में बुनियादी ढांचे के लिए जारी की गई धनराशि का विवरण संलग्न है।

(ख) : विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेलवे, राज्य पीडब्लूडी, अन्य केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक उपक्रमों आदि के माध्यम से डिपाजिट वर्क सिस्टम के अनुसार निर्माण कार्य निष्पादित किए जाते हैं। निर्माण एजेंसी से, तस्वीरों के साथ भौतिक और वित्तीय रिपोर्ट प्रधानाचार्य के माध्यम से प्राप्त होने के बाद धनराशि जारी की जाती है। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति (वीएमसी) द्वारा हर महीने विद्यालय स्तर पर कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) : सभी केन्द्रीय विद्यालयों में लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय अच्छी स्थिति में उपलब्ध हैं

*****

संलग्नक

'विद्यालयों में सुविधाएं' के संबंध में माननीय संसद सदस्य डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीत, श्री विनायक भाऊराव राऊत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे और श्री हेमन्त पाटिल द्वारा दिनांक 02.12.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 2141 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में बुनियादी ढांचे के लिए जारी की गई धनराशि का विवरण

रू. लाख में

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
1	आंध्र प्रदेश	614.51	1395.14	359.19	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	979.00	2830.00	100.00	41.41
3	असम	2837.66	3976.64	474.50	200.00
4	बिहार	1490.00	4420.00	1020.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	1168.21	3710.99	1642.36	277.56
6	दिल्ली	1412.66	1819.12	1246.62	436.00
7	दमन और दीव	0.00	0.00	20.00	0.00
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	20.00	0.00
9	गुजरात	1039.35	1620.00	744.27	3.46
10	हरियाणा	1028.01	2187.12	960.00	400.00
11	हिमाचल प्रदेश	424.00	331.45	217.97	219.80
12	जम्मू और कश्मीर	1302.01	2100.00	1221.27	102.32
13	झारखंड	1845.00	1510.00	80.00	0.00
14	कर्नाटक	3134.64	5067.14	958.86	203.90
15	केरल	4270.00	4996.73	1812.00	600.00
16	लद्दाख	400.00	520.00	0.00	0.00
17	लक्षद्वीप	600.00	400.00	500.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	4833.04	6807.92	3590.00	816.76
19	महाराष्ट्र	911.59	3247.51	395.38	300.00
20	मणिपुर	30.00	0.00	0.00	0.00
21	मिजोरम	600.00	2040.00	0.00	0.00
22	नागालैंड	0.00	1.79	0.00	0.00
23	ओडिशा	2536.97	3157.79	2280.00	700.00
24	पंजाब	2412.00	1703.81	624.00	0.00
25	पांडिचेरी	210.09	416.33	200.00	0.00
26	राजस्थान	1600.00	2515.03	1463.20	901.00
27	तमिलनाडु	853.03	1290.00	716.55	400.00
28	तेलंगाना	1200.00	1107.55	586.87	100.00
29	उत्तर प्रदेश	6398.14	3615.33	1978.67	2183.16
30	उत्तराखंड	2292.81	2520.91	399.72	265.41
31	पश्चिम बंगाल	1527.75	2146.58	1050.00	0.00
कुल		**47950.47**	**67454.89**	**24661.43**	**8150.78**

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2202

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

आई.आई.एम.

†2202. श्री सुमेधानन्द सरस्वतीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्रस्तावित नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई॰आई॰एम॰) का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या नए आई॰आई॰एम॰ प्राध्यापकों की कमी का सामना कर रहे हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) आई॰आई॰एम॰ हेतु विनिर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात का ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अंक जारी होने के पश्चात आई॰आई॰एम॰ में प्रवेश हेतु पूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की जाती है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग) : अमृतसर, बोधगया, नागपुर, सिरमौर, संबलपुर, विशाखापट्टनम और जम्मू में सात नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं। इस समय कोई नया आईआईएम स्थापित करने का कोई और प्रस्ताव नहीं है। नऐ सात आईआईएम में संकाय की कोई कमी नहीं है।

(घ) : सामान्यतः, आईआईएम में शिक्षक-छात्र अनुपात 1:10 है। तथापि, अन्य बातों के साथ-साथ, छात्रों की नामांकन संख्या में परिवर्तन के कारण अनुपात बदलता रहता है।

(ड.) से (छ) : जी नहीं। नए आईआईएम में दाखिला प्रक्रिया के संबंध में पूर्ण सूचना उनकी संबंधित वेबसाइटों पर दी गई है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 200

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

†*200. **श्री सु. थिरुनवुक्करासरः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कम वेतन पाने का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर/ एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के शिक्षण अनुभव पर विचार नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत किंतु यूजीसी द्वारा यथाविहित वेतनमान नहीं पाने वाले उम्मीदवारों के शिक्षण अनुभवों पर विचार करने के लिए कदम उठाए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

20 वां स्थान

'केन्द्रीय विश्वविद्यालय' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सु॰ थिरुनवुक्करासर द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 200 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 18 जुलाई, 2018 को भारत के राजपत्र में यूजीसी (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं। उक्त विनियमों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती और करियर प्रोन्नति योजना (सीएएस) के तहत प्रोन्नति के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।

उक्त विनियमों के अनुसार, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या किसी भी अन्य नाम से जाने वाले रूप में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के शिक्षण अनुभव की गणना की जाएगी, बशर्ते कि अभ्यर्थी द्वारा पिछली संस्था में धारित पद की अनिवार्य अर्हता यूजीसी द्वारा निर्धारित अनिवार्य अर्हता से कम न हो और यह सहायक प्रोफेसर (व्याख्याता) एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) और प्रोफेसर के पद के समकक्ष ग्रेड अथवा पूर्व-संशोधित वेतनमान में होगी।

इसके अलावा, निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अभ्यर्थियों के शिक्षण अनुभवों के संबंध में, उक्त विनियमों में यह प्रावधान है कि पिछली सेवा की गणना करते समय उस संस्था के प्रबंधन की प्रकृति के संदर्भ में कोई अंतर नहीं किया जाएगा, जहां पिछली सेवा (निजी/स्थानीय निकाय/सरकारी) प्रदान की गई थी।

*****

20वां स्थान

'केन्द्रीय विश्वविद्यालय' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 200

कार्यकारी सार

1. प्रश्न का प्रमुख विषय

प्रश्न का प्रमुख विषय यह जानना है कि क्या सरकार कम वेतन पाने का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के शिक्षण अनुभव पर विचार नहीं कर रही है और मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थानों में कार्यरत किंतु यूजीसी द्वारा यथाविहित वेतनमान नहीं पाने वाले उम्मीदवारों के शिक्षण अनुभवों पर विचार करने के लिए कदम उठाए हैं।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के शिक्षण अनुभव पर विचार न किए जाने, कम वेतन पाने का उल्लेख करने और मंत्रालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थियों के शिक्षण अनुभव पर विचार करने के लिए उठाए गए कदम से संबंधित है जो यूजीसी द्वारा निर्धारित वेतनमान आहरित नहीं कर रहे हैं।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विनियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (ड) और (छ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी समय-समय पर विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता और उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के अन्य उपाय निर्धारित करता है। वर्तमान में, यूजीसी (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 लागू हैं। ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 खण्ड (झ) के तहत संबंधित विश्वविद्यालय के साथ परामर्श कर किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा किसी राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित अथवा या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संघटित अथवा संबद्ध महाविद्यालय सहित प्रत्येक संस्थान और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रत्येक सम विश्वविद्यालय पर लागू होगा।

3. पिछली सेवा के संस्थानों की प्रकृति

इस खण्ड के अंतर्गत विगत सेवा की गणना करते समय संस्थान (निजी/ स्थानीय निकाय/ सरकारी), जहां पूर्व सेवाएं प्रदान की गई थीं, की प्रबंधन के स्वरूप का संदर्भ देते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

4. सीधी भर्ती और करियर प्रोन्नति स्कीम (सीएएस) के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए पिछली सेवाओं की गणना करना

यूजीसी (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के खण्ड 10.0 के अनुसार,

"सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट-प्रोफेसर, प्रोफेसर अथवा किसी अन्य नाम से जाने वाले रूप में एक शिक्षक को सी.ए.एस. के अंतर्गत सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं अथवा सीएसआईआर, आईसीएआर, डीआरडीओ, यूजीसी, आईसीएसएसआर, आईसीएचआर, आईसीएमआर और डीबीटी जैसे अन्य वैज्ञानिक/व्यावसायिक संगठनों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट-प्रोफेसर, प्रोफेसर अथवा समकक्ष के रूप में पूर्व नियमित सेवा, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, की गणना की जानी चाहिए, बशर्ते कि:

(क) धारित पद की अनिवार्य अर्हताएं, सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, जैसी भी स्थिति हो, के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई अर्हताओं से कम नहीं हो।

(ख) **पद, सहायक प्रोफेसर (व्याख्याता), एसोसिएट प्रोफेसर (रीडर) और प्रोफेसर के पद के रूप में समकक्ष श्रेणी का हो/था अथवा पूर्व संशोधित वेतनमान पर हो/रहा हो।**

(ग) संबंधित सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पास सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, जैसी भी स्थिति हो, के पद पर नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिएं।

(घ) ऐसी नियुक्तियों के लिए संबंधित विश्वविद्यालय/ राज्य सरकार/केंद्र सरकार/संस्थानों की निर्धारित चयन प्रक्रिया के निर्धारित विनियमों के अनुसार पद भरे गए हों।

(ड) किसी भी अवधि के दौरान पूर्व नियुक्ति अतिथि व्याख्याता के रूप में नहीं की गई हो।

5. पिछली सेवा की तदर्थ या अस्थायी या संविदात्मक सेवा के रूप में गणना करना।

पिछली तदर्थ या अस्थायी या संविदात्मक सेवा (चाहे इसका जो भी नाम हो) की सीधी भर्ती और पदोन्नति हेतु गणना की जाएगी, बशर्ते कि:

i. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, जैसी भी स्थिति हो, हेतु अनिवार्य अर्हताएं, आवश्यक धारित पद की आवश्यक अर्हताओं से कम न हों;
ii. पदधारी की नियुक्ति, विधिवत रूप से गठित चयन समिति/ संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गई हो;
iii. पदधारी, नियमित आधार पर नियुक्त किए गए सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, जैसी भी स्थिति हो, के मासिक सकल वेतन से कम कुल सकल परिलब्धियां प्राप्त नहीं कर रहे हों।

******

20 वां स्थान

'केन्द्रीय विश्वविद्यालय' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 200 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

अनुपूरक नोट

1. विश्वविद्यालय और कॉलेजों में प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए पात्रता के लिए क्या मानदंड हैं?

यूजीसी (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु उपाय) संबंधी विनियम, 2018 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।

प्रोफेसर: पात्रता (क अथवा ख)

क. (i) कोई प्रसिद्ध विद्वान, जिसने संबंधित/सहबद्ध/प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. डिग्री की हो और जिसका उच्च गुणवत्ता का कार्य प्रकाशित हुआ हो, प्रकाशन कार्य के प्रमाण के साथ अनुसंधान में सक्रिय भागीदारी की हो, पीयर रिव्यूड अथवा यूजीसी-सूचीबद्ध पत्रिकाओं में न्यूनतम 10 शोध प्रकाशित किए हों और विनियमों में दिए गए मानदंडों के अनुसार कुल 120 अनुसंधान स्कोर प्राप्त किया हो।

(ii) विश्वविद्यालय/कॉलेज में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/ प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का शिक्षण अनुभव और अथवा डॉक्टरेट के अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन करने के प्रमाण सहित विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में समकक्ष स्तर पर अनुसंधान का अनुभव।

अथवा

ख. एक उत्कृष्ट पेशेवर जिसके पास किसी भी शैक्षणिक संस्थान (उपरोक्त क में शामिल नहीं)/ उद्योग में संबंधित / सहबद्ध / प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. की डिग्री हो, जिसने संबंधित / सहबद्ध / प्रासंगिक विषय में ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो, बशर्ते कि उसके पास दस वर्ष का अनुभव हो।

एसोसिएट प्रोफेसर:

(i) संबंधित/ सहबद्ध / प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. की डिग्री के साथ अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड।

(ii) कम से कम 55% अंकों (या बिंदु पैमाने में समकक्ष ग्रेड, जहाँ भी ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है) के साथ स्नातकोत्तर डिग्री।

(iii) विश्वविद्यालय, कॉलेज या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ उद्योग में सहायक प्रोफेसर के समकक्ष किसी शैक्षणिक/ अनुसंधान के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव और पीयर रिव्यूड अथवा यूजीसी-सूचीबद्ध पत्रिकाओं में न्यूनतम 7 शोध प्रकाशित किए हों और विनियमों में दिए गए मानदंडों के अनुसार कुल 75 अनुसंधान स्कोर प्राप्त किया हो।

2. केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए यूजीसी वेतनमान क्या हैं?

केंद्र सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन किया था। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लिए संशोधित वेतनमान निम्नानुसार हैं:

मौजूदा वेतन	**संशोधित वेतन**
सहायक प्रोफेसर (रु.15,600-39,100 पीबी में रु. 6000 एजीपी पर)	सहायक प्रोफेसर (रु. 57,700/- के रेशनलाइज्ड एंट्री वेतनमान के साथ शैक्षणिक स्तर 10 पर)
सहायक प्रोफेसर (रु. 15,600-39,100 पीबी में Rs.7000 एजीपी पर)	सहायक प्रोफेसर (Rs.68,900/- के रेशनलाइज्ड एंट्री वेतनमान के साथ शैक्षणिक स्तर 11 पर)
सहायक प्रोफेसर (रु.15,600-39,100 पीबी में रु.8000 एजीपी पर)	सहायक प्रोफेसर (Rs.79,800/- के रेशनलाइज्ड एंट्री वेतनमान के साथ शैक्षणिक स्तर 12 पर)
एसोसिएट प्राध्यापक (रु. 37,400-67,000 पीबी में रु. 9000 एजीपी पर)	एसोसिएट प्राध्यापक (रु. 1,31,400/- के रेशनलाइज्ड एंट्री वेतनमान के साथ शैक्षणिक स्तर 13 ए पर)
प्रोफ़ेसर (रु. 37,400-67,000 पीबी में रु. 1,0000 एजीपी के स्तर पर)	प्रोफ़ेसर (रु. 1,44,200/- रु. के रेशनलाइज्ड एंट्री वेतनमान के साथ शैक्षणिक स्तर 14 पर)
प्रोफ़ेसर (Rs.67,000-79,000 के एचएजी स्केल/पीबी)	प्रोफ़ेसर (15,82,200/- रुपये के रेशनलाइज्ड एंट्री वेतनमान के साथ शैक्षणिक स्तर 15 पर)

3. निजी विश्वविद्यालय क्या है?

"निजी विश्वविद्यालय" का अर्थ है एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसे, राज्य/केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से प्रायोजक निकाय अर्थात सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860, के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा अथवा किसी राज्य या सार्वजनिक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी में विशेष समय के लिए लागू किसी अन्य संबंधित कानून के तहत विधिवत रूप से स्थापित किया गया हो।

4. क्या यूजीसी विनियम निजी विश्वविद्यालयों के लिए लागू हैं?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के अनुसार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) और 12 बी के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त मौजूदा विश्वविद्यालयों के कार्यतंत्र को विनियमित करने के लिए एक प्रभावी कार्यतंत्र पहले से स्थापित है।इसके अलावा, यूजीसी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय यूजीसी से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं और यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक विनियमों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालयों में शिक्षण स्टॉफ के रूप में नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति के पास होने वाली न्यूनतम अर्हताओं को परिभाषित करने वाले विनियम; किसी विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान करने हेतु शिक्षा के न्यूनतम मानकों को परिभाषित करने वाले विनियम, इत्यादि शामिल हैं, का अनुपालन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, निजी विश्वविद्यालय, विश्विवद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के अन्य उपाय) विनियम, 2018 का भी अनुपालन करेंगे।

5. यूजीसी द्वारा निजी विश्वविद्यालयों में मानकों के अनुरक्षण की निगरानी किस प्रकार की जाती है?

यूजीसी अपने कार्यक्रम प्रदान करने वाले निजी विश्वविद्यालय और उसके ऑफ कैंपस केन्द्र (केन्द्रों), अध्ययन केंद्र (केन्द्रों), विदेशी परिसर (परिसरों) आदि का समय-समय पर निरीक्षण कर सकता है। इस प्रयोजनार्थ, यूजीसी समय-समय पर संशोधित यूजीसी (विश्वविद्यालयों द्वारा सूचना का विवरण) नियम, 1979, में यथा संबंधित निजी विश्वविद्यालय से सभी प्रासंगिक जानकारी देने को कह सकता है।

6. उल्लंघन के क्या परिणाम हैं ?

यूजीसी, प्रथम डिग्री और / या स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले निजी विश्वविद्यालय के निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद, विश्वविद्यालय को संबंधित यूजीसी विनियमों के गैर-अनुपालन और विसंगति के बारे में सूचित कर सकता है और इसे दूर करने का उचित अवसर प्रदान कर सकता है। यदि आयोग को यह विश्वास हो जाता है कि, निजी विश्वविद्यालय, ऐसे करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, किसी विनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो आयोग विसंगति को दूर किए जाने तक, निजी विश्वविद्यलाय को प्रथम डिग्री और/या स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा, जैस भी मामला हो, पाठ्यक्रम प्रदान करने से रोकने संबंधी आदेश पारित कर सकता है। यूजीसी प्रथम डिग्री और / या स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और एक सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से इसकी जानकारी सार्वजनिक कर सकता है।

निजी विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे कार्यक्रम (मों) को जारी रखना और गैरनिर्दिष्ट डिग्री (यां) प्रदान करना, यूजीसी अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत दंडनीय होगा।

7. देश भर में केन्द्रीय उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में संकाय रिक्ति की क्या स्थिति है?

उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में भर्ती का विवरण निम्नानुसार है:

15.11.2019 को रिक्ति की स्थिति				
उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत संस्थान				
श्रेणी	**कुल स्वीकृत पद (संकाय)**	**15.11.2019 को रिक्ति की स्थिति**	**15.11.2019 को विज्ञापित पदों की वर्तमान संख्या**	**जून 2019 से की गई कुल नियुक्तियां**
एनआईटी	7483	2820	2045	161
एसपीए	227	85	84	
सीयू	17834	6738	6536	546
आईआईटी	8856	2813	2813	214
आईआईआईटी	394	146	148	40
आईआईएसईआर	1255	159	159	98
आईआईएम	1148	275	275	2
भाषा	647	185	193	61
अन्य तकनीकी संस्थाएं	608	178	173	43
कुल	**38452**	**13399**	**12426**	**1165**

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2204

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

प्राथमिक शिक्षा

2204. श्री अशोक कुमार रावतः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या आवश्यकता से कम है;

(ख) यदि हां, तो विद्यमान प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने अध्यापकों की आवश्यकता है और इस समय कितने अध्यापक हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी का समाधान करने के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है/करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की अनुसूची में प्राथमिक स्कूलों के लिए छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) निर्धारित किया गया है जो 30:1 है। एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (यू-डाइस) 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्कूलों के लिए पीटीआर 23:1 है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और तैनाती राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं। स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और सेवानिवृत्ति, इस्तीफे और छात्रों की बढ़ती संख्या के चलते अतिरिक्त अपेक्षाओं के कारण रिक्तियां होती रहती हैं। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और उनकी युक्तिसंगत तैनाती के लिए सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अनुरोध करता रहा है, जिसके लिए मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी करता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है ताकि स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार समुचित छात्र शिक्षक अनुपात को बनाए रखा जा सके।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2082

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

फर्जी विश्वविद्यालय

2082. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंताः

श्री दयाकर पसुनूरीः

श्री एन. रेड्डप्पः

श्री अरूण सावः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फर्जी विश्वविद्यालयों की एक सूची जारी की है जो स्वघोषित, गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं जो यूजीसी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कार्य कर रही हैं, तथा यूजीसी ने विद्यार्थियों को इनके दावों पर विश्वास नहीं करने की चेतावनी दी है तथा जो एक से ज्यादा दशक से यूजीसी की जांच-सूची में हैं और विनियामक की कदाचार-रोधी प्रकोष्ठ (एएमपीसी) उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा अब तक इसकी सूची में शामिल गैर-मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों को बंद करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सभी कॉलेजों द्वारा यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन की सख्ती से निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या विदेशों में भी बड़ी संख्या में फर्जी महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): जी, हां। छात्रों, अभिभावकों, जन सामान्य और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 24 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है जो यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (एफ) और धारा 3 के तहत मान्यता के बिना डिग्री कार्यक्रम की पेशकश कर रहे हैं। इसके अलावा, दो और संस्थान नामतः भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान (आईआईपीएम), नई दिल्ली और भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ, उत्तर प्रदेश भी यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इन फर्जी विश्वविद्यालयों का विवरण इसकी वेबसाइट www.ugc.ac.in पर उपलब्ध है।

सरकार/यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को बंद करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं ताकि छात्र इन फर्जी विश्वविद्यालयों के जाल में न फंसे:

i. सरकार/यूजीसी ने अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों/शिक्षा सचिवों को पत्र जारी किए हैं।

ii यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों को कारण बताओ नोटिस / चेतावनी जारी की है कि स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चलाने और भ्रामक विज्ञापन देने से यूजीसी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता आदि सहित उपयुक्त कानूनों के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है।

iii यूजीसी ने भारतीय योजना और प्रबंधन संस्थान (आईआईपीएम), नई दिल्ली और जैव रसायन शिक्षा अनुदान आयोग, नादिया, पश्चिम बंगाल के खिलाफ संबंधित पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज की है।

उपरोक्त के अलावा, यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों से आम जनता, छात्रों और अभिभावकों में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. यूजीसी ने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची अपनी वेबसाइट यानी www.ugc.ac.in पर प्रकाशित की है।

ii. प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में यूजीसी आकांक्षी छात्रों, अभिभावकों और जन सामान्य को देश के विभिन्न भागों में चल रही उच्चतर शिक्षा के स्वघोषित, अप्राधिकृत फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में प्रवेश न लेने के संबंध में चेतावनी के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय दैनिक और समाचार-पत्रों में देश में फर्जी विश्वविद्यालयों की राज्य-वार सूची के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति और सार्वजनिक नोटिस जारी करता है।

(घ) और (ड.): सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2102

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

शारीरिक शिक्षा शिक्षक और कोच

2102. कर्नल राज्यवर्धन राठौरः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और कोचों के अर्हता मानदंड क्या हैं;
(ख) क्या शारीरिक शिक्षा हेतु शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि अनिवार्य है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) सरकारी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों और प्रशिक्षकों की भर्ती की मौजूदा प्रक्रिया क्या है; और
(घ) क्या विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षक और खेल कोच एक ही व्यक्ति होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने दिनांक 12.11.2014 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के रूप में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं।

(ग) और (घ): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, अतः शिक्षकों की भर्ती, सेवा शर्तें और नियुक्ति संबंधित राज्य/संघ शासित सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2143

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

केन्द्रीय विद्यालयों में प्रेक्षागृह

†**2143. श्री सी॰ एन॰ अन्नादुरईः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में छात्रों हेतु अभी भी प्रेक्षागृह नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त केन्द्रीय विद्यालय में प्रेक्षागृह के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में कोई प्रेक्षागृह नहीं हैं। केन्द्रीय विद्यालयों में प्रेक्षागृहों या बहुउद्देशीय हाल का निर्माण इस प्रयोजन हेतु स्थान की उपलब्धता, अपेक्षित निधि की उपलब्धता आदि के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में, इस अतिरिक्त कार्य को शुरू करने के लिए निधि उपलब्ध नहीं है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2167

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियां

2167. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में स्वीकृत, वास्तविक और रिक्त पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार नागौर जिले की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां एक अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह केन्द्रीय विद्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) राजस्थान के जिला मुख्यालय नागौर में स्थित केन्द्रीय विद्यालय (केवि) में स्वीकृत पदों, पदस्थ स्टाफ और रिक्त पदों के श्रेणीवार ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	पदस्थ स्टाफ	रिक्त पद
1.	उप प्रधानाचार्य	1	1	0
2.	टीजीटी, अंग्रेजी	1	1	0
3.	टीजीटी, संस्कृत	1	1	0
4.	टीजीटी, गणित	1	1	0
5.	पुस्कालयाध्यक्ष	1	1	0
6.	प्राथमिक शिक्षक	6	6	0
7.	पीआरटी (संगीत)	1	1	0
8.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक (एसएसए)	1	1	0
9.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक (जेएसए)	1	0	1
10.	उप-स्टाफ (नियमित)	2	0	2

कुल	**16**	**13**	**3**

(ख) रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। जैसाकि इस प्रक्रिया में भर्ती के विभिन्न तरीके जैसे पदोन्नति, सीमित विभागीय परीक्षा, सीधी भर्ती आदि शामिल हैं इसलिए कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं दी जा सकती कि सभी पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

******

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2074

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

प्राथमिक शिक्षा

2074. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों को देय वेतन का बोझ कम करने के लिए इसे निजी क्षेत्र को दिया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या राय है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): जी, नहीं।

(ख): प्रश्न नहीं उठता।

******

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2092

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

असम में विद्यालय

2092. श्री एम. बदरुद्दीन अज़मलः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान असम में विशेषकर धुबरी और गोलपाड़ा जिलों में सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अंतर्गत कितने विद्यालयों और शिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन हेतु जिला-वार और वर्ष-वार कितनी निधि जारी की गई है;

(ग) क्या सरकार का सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के अन्तर्गत असम में विशेषकर धुबरी और गोलपाड़ा जिलों के पिछड़ेपन को देखते हुए और विद्यालयों और शिक्षण केन्द्रों की स्थापना पर विचार करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल '*निशंक*')

(क): स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा की शुरूआत की है, जिसमें तीन पूर्व केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रूसा) एवं शिक्षक शिक्षा (टीई) शामिल हैं। पिछले पांच वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान असम के लिए 34 प्राथमिक विद्यालय, 47 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1 आवासीय विद्यालय, 1 छात्रावास एवं 24 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) की मंजूरी दी गई। इसमें गोलपाड़ा जिले के लिए 1 प्राथमिक विद्यालय, 1 उच्च प्राथमिक एवं 2 केजीबीवी एवं असम के धुबरी जिले के लिए 3 केजीबीवी शामिल हैं।

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 2015-16 से 2019-20 तक स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार हैः

कार्यक लाप	**धुबरी**	**गोलपाड़ा**								
	2015	2016-17	2017-18	2018-	2019	2015-16	2016-	20	201	2019-

	-16			19	-20		17	17-18	8-19	20	
आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र		7	7	6	6	6	3	3	3	3	3
गैर-आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र		180	169	139	139	139	62	62	62	62	62
धार्मिक मदरसों को सहायता		15	42	0	37	37	15	80	0	13	13
प्रवासी शिक्षार्थियों के लिए मौसमी केंद्र		34	33	27	18	18	10	10	8	7	0
कुल		236	251	172	200	200	90	155	73	85	78

राज्य ने यह भी सूचित किया है कि शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से गोलपाड़ा जिले में आदर्श विद्यालय (मॉडल स्कूल), मातिया शुरू किया गया है।

(ख): समग्र शिक्षा के अंतर्गत, सरकार राज्य को समग्र रूप से धनराशि जारी करती है। धनराशि जिला-वार जारी नहीं की जाती। पिछले पांच वर्ष एवं वर्तमान वर्ष के दौरान प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत असम राज्य को वर्षवार जारी की गई राशि का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रू. लाख में)
1.	2014-15	97782.19
2.	2015-16	100464.64
3.	2016-17	87652.30
4.	2017-18	123584.00
5.	2018-19	143658.61
6.	2019-20 (28.11.2019 के अनुसार)	103452.94

(ग) से (ड.): राज्य सरकार अपनी वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में स्कूल की स्थापना और अन्य कार्यकलापों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करती है, जिन पर इस विभाग द्वारा समग्र शिक्षा के मानदंडों के अनुसार विचार किया जाता है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2103

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

लुप्त होती जा रही भाषाओं का सरंक्षण

†2103. श्री संजय काका पाटीलः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण भारत में लुप्त होती जा रही भाषाओं के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) संपूर्ण भारत में लुप्त होती जा रही भाषाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) विभिन्न राज्यों में इन भाषाओं के संरक्षण हेतु राज्य-वार कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): भारत में लुप्त होती भाषाओं का कोई अधिकारिक रिकार्ड नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने भारत की लुप्त प्राय भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना (एसपीपीईएल) को शुरू किया है। इस योजना के तहत केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली भारत की सभी मातृभाषाओं/भाषाओं, जिन्हें लुप्तप्राय भाषाएं कहा जाता है, की सुरक्षा, संरक्षण और प्रलेखन हेतु कार्य करता है। योजना के पहले चरण में पूरे भारत से अध्ययन और प्रलेखन हेतु प्राथमिकता के आधार पर 117 लुप्तप्राय भाषाओं/मातृ भाषाओं को चुना गया है। इनमें 60 से अधिक भाषाओं में शोध कार्य जारी है। इन 117 भाषाओं के विवरण संलग्नक में दिए गए हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने लुप्तप्राय भाषाओं की सुरक्षा के लिए दो योजनाओं को शुरू किया है, नमत: भारत में स्थानीय और लुप्तप्राय भाषाओं में अध्ययन और शोध हेतु राज्य विश्वविद्यालयों को सहायता और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लुप्तप्राय भाषाओं हेतु केन्द्रों की स्थापना करना। इन योजनाओं के तहत, सात राज्य विश्वविद्यालयों और 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को यूजीसी द्वारा धनराशि प्रदान की जा रही है।

योजना के तहत निधियों का राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को 2014 से आबंटित धनराशि निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी राशि
1.	तेजपुर विश्वविद्यालय	600
2.	सिक्किम विश्वविद्यालय	180
3.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय	180
4.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	530
5.	केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड	360
6.	गुरु घासीदासविश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	360
7.	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय	360
8.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय	360
9.	विश्व भारती	800
सकल योग		3730

XIIवीं योजना (2012-17) के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों को आबंटित धनराशि

(रू. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	जारी राशि
1.	जादवपुर विश्वविद्यालय, प. बंगाल	134
2.	भारथिअर विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	96
3.	द्रविड़ियन विश्वविद्यालय, आन्ध्रा विश्वविद्यालय	161
4.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली	193
5.	केरल विश्वविद्यालय, केरल	193
6.	बरहमपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा	193
7.	एम. एस. यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, वडोदरा	1768
सकल योग		2738

सीआईआईएल ने वर्ष 2013 से एसपीपीईएल योजना के तहत 11 करोड़ रू. का व्यय किया।

*****

'लुप्त होती जा रही भाषाओं का सरंक्षण' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री संजय काका पाटील द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2103 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

क्र.सं.	भाषा / मातृभाषा का नाम	क्र.सं.	भाषा / मातृभाषा का नाम	क्र.सं.	भाषा / मातृभाषा का नाम
1	लैमोंगसे	40	मारा	79	खाना
2	लूरो	41	ऐमोल	80	भाद्रालियम
3	मौउट	42	अटोंग	81	खाशा
4	ओंगे	43	गुरुंग	82	मेशाबी
5	पू	44	खंबा	83	पेड्डारी
6	सानेन्यो	45	डीरंग मोंपा	84	तेहगुल
7	सेंटीलेस	46	खांपती	85	गोजापुरी
8	शोमपेन	47	पुरूम	86	हस्सादी
9	तकाहयीलांग	48	उचई	87	बालास्टीन
10	थरूआ	49	नेवाड़ी	88	बातेरी
1 1	भुंजिया	50	बावम	89	दरगारी
12	बोडो गडाबा / गुटोब	51	राल्ते	90	खुशवाही
13	धीमाल	52	थापा	91	मासीदी
14	मरू	53	बागी	92	सियान
15	मंदा	54	चिं ज़/ ज़ायफे	93	मन्नान
16	बीरहोर	55	छोथे	94	कानीकेर गोटी
17	होलिया	56	कागते	95	पुलिया
18	बींजहिया /बीर्जिया/ ब्रिजिया	57	कामी / खामी	96	सिद्दी
19	टोटो	58	कोईरेंग	97	कादर
20	दीदायी /गाता	59	कोंगबो	98	मूपन
21	गोरूम	60	लामगंग	99	मुदुगा
22	थोटी	61	मोयोन	100	सोलीगा
23	बोंडो	62	मुखिया / सुनुवार	101	हक्कीपिक्की
24	पारेंगा	63	नेवार / प्रधान	102	मलाईमालासर
25	ना	64	पुरोइक / सुलांग	103	अरांदन
26	थंगम	65	ताराओ	104	कुटिया
27	खामियांग	66	योबीन /योबीन लीजु	105	उराली
28	सिं गफो	67	ज़ाखरींग	106	मुदुवन
29	शेरदुकपेन	68	जनगशुंग	107	पालिया
30	मेयोर / ज़करिंग	69	गहरी	108	मलायन
31	रंगलोंग	70	स्पिति	109	मालासर
32	बैती /बैती	71	चिनाली	110	जेनु कुरूबा
33	बांग्रो	72	दरमिया	111	टोडा
34	चिरू	73	जाद	112	इरावल्लन
35	डारलोंग	74	कनाशी / मलानी	113	भारवाड़ / भारवाडी
36	लीजु	75	जांगलि / राज़ी	114	बराडी
37	फाकिअल	76	रोंगपो	115	निहाली
38	कोमकार	77	सिराम	116	भला
39	सिमोंग	78	बेडा	117	दिवेही

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2176

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

कैदियों हेतु शिक्षा कार्यक्रम

†2176. श्री रितेश पाण्डेयः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान कैदियों हेतु किसी साक्षरता/शिक्षा कार्यक्रम में राज्य सरकारों के साथ समन्वय या सहायता की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों का ब्यौरा क्या है और कार्यक्रम की अवधि लाभार्थी कैदियों की संख्या और राज्य-वार व्यय क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान कैदियों में साक्षरता हेतु उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ग): जी, नहीं। देश में साक्षरता दर में सुधार की दृष्टि से 2001 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे कम प्रौढ़ महिला साक्षरता दर वाले 26 राज्यों और 1 केन्द्र शासित प्रदेश के 410 जिलों, जिनमें वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिले भी शामिल थे, चाहे उनकी साक्षरता दर जो भी हो, के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्टूबर, 2009 से महिलाओं और अन्य वंचित वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना साक्षर भारत लागू की गई थी। कैदियों के लिए अलग से कोई साक्षरता योजना लागू नहीं की गई है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2072

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

स्वयं प्लेटफार्म

2072. श्रीमती किरण खेरः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'स्वयं 2.0' कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) 'स्वयं' संबंधी विभिन्न प्रमाण-पत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत नामांकित छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा देशभर के छात्रों को शिक्षा तक पहुंच, और समान व गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) स्वयम 2.0 की प्रमुख विशेषताएं- उच्च मापनीयता और प्रदर्शन, संकाय और छात्रों के लिए बढ़ी हुई विशेषताएं, बेहतर आकलन और मूल्यांकन, अंतर्राष्ट्रीयकरण, भारतीय भाषाओं में अनुवाद, स्थानीय चैप्टर और संरक्षक और ऑनलाइन डिग्री की पेशकश हैं।

(ख) स्वयम प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के नामांकन का वर्षवार विवरण:

वर्ष	पाठ्यक्रमों की संख्या	नामांकन
2016	247	6,67,763
2017	584	38,44,442
2018	862	3683978
2019	1172	4288886
सकल योग	**2865**	**12485069**

(ग) सभी स्वयम पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध हैं। शिक्षण संस्थानों में 3800 स्थानीय चैप्टर स्थापित किए गए हैं । स्थानीय चैप्टर छात्रों के नामांकन के बारे में चर्चा करते हैं, क्रेडिट हस्तांतरण की सुविधा, नए पाठ्यक्रम सुझाने, परीक्षा पंजीकरण और पाठ्यक्रम प्रदान करने के दौरान छात्रों की मदद के लिए छात्रों और संकाय के बीच विचार विमर्श के लिए एक मंच प्रदान करेगा।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2145

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

शिक्षा संस्थाओं की रैंकिंग

†2145. श्री एस. मुनिस्वामीः

श्रीमती रमा निखिल खाडसेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की भारतीय शिक्षा संस्थाओं को रैंक प्रदान करने हेतु एक विशेषीकृत निकाय आईआरएस (इंडियन रैंकिंग सोसाइटी) स्थापित करने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो निकाय की संरचना क्या है;
(ग) रैंकिंग प्रणाली की प्रक्रिया क्या है और भारतीय शिक्षा प्रणाली को इससे क्या लाभ है;
(घ) क्या सरकार चयनित उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उनके कैंपस में अनुसंधान और नवोन्मेष को प्रोत्साहन देने के लिए क्रमित स्वायत्तता प्रदान करने पर विचार कर रही है ताकि वह वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग में आ सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए चयनित ऐसे उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सूची क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की कार्यकारी समिति ने 20.08.2019 को आयोजित अपनी 127वीं बैठक में इंडिया रैंकिंग सोसायटी के नाम और शैली में स्वतंत्र सोसायटी के सृजन हेतु अनुमोदन प्रदान किया जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए विधियों और प्रणालियों को विकसित एवं तैयार करना है।

(ग) वर्तमान में, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढ़ांचे (एनआईआरएफ) की उपयोग संस्थानों के पांच व्यापक सामान्य मानक समूहों पर रैंकिंग के लिए किया जा रहा है:

i) शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन
ii) अनुसंधान और व्यवसायिक अभ्यास
iii) स्नातक परिणाम
iv) आउटरीच और समावेशिता
v) अवधारणा

इंडिया रैंकिंग 2019 ने भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नौ वर्गों में रखा है यथा विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, कॉलेज, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, आर्किटेक्चर, मेडिकल समग्र रैंकिंग से उत्कृष्टता का परिवेश बनता है।

(घ) और (ड.): दिनांक 12.02.2018 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (ग्रेडेड स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वि वद्यालय(केवल) का वर्गीकरण) विनियम, 2018 के माध्यम से ग्रेडेड स्वायत्ता प्रदान करने के लिए पहले से ही एक तंत्र मौजूद है जो यूजीसी की वेबसाईट https://www.ugc.ac.in/pdfnews/1435338 182728.pdf पर उपलब्ध है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 191

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

स्कूल बैग का भार

***191. श्री अरूण सावः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के लिये स्कूल बैग के भार को कम करने हेतु हाल में कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें वर्तमान में ऐसी योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ग) क्या विद्यार्थियों के लिये स्कूल बैग का भार कम करने हेतु केंद्र सरकार का भी ऐसी योजना बनाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह व्यवस्था कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (ड.): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

"स्कूल बैग का भार" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अरूण साव द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 191 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): हाँ, श्रीमान । मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल बैग के भार जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विषयों और पाठ्यपुस्तकों के साथ कक्षा 1-10 के लिए स्कूल बैग का अधिकतम भार निर्धारित किया गया है, को कम करने के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।

(ख): महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश, गोवा, केरल, ओडिशा, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ एवं लक्षद्वीप प्रशासन ने स्कूल बैग के भार को कम करने के लिए निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसी नीति तैयार करने की सलाह दी गई है।

(ग) से (ड.): केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 05.10.2018 के पत्र संख्या 1-4/2018-आईएस-3 के माध्यम से स्कूल बैग का भार कम करने के लिए नीति तैयार करने हेतु पत्र जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चिल्ड्रन स्कूल बैग नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का भी गठन किया है और उन्होंने इस संबंध में एक मसौदा नीति प्रस्तुत की है।

एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ)- 2005 में पुराने तरीकों से सीखने की प्रथा को बदलने, स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान के साथ जोड़ने, बच्चों पर पुस्तकों का बोझ डालने के स्थान पर उनके समग्र विकास के लिए पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाने और परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीली और कक्षा से एकीकृत करने पर बल दिया गया है।

इस संदर्भ में एनसीईआरटी ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

i. नए पाठ्यक्रम और पुस्तकों में पाठ्यचर्या भार के संबंध में एनसीएफ 2005 परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा गया है और यह परस्पर संपर्क तथा बच्चों पर केंद्रित पढ़ाने की विधि पर आधारित है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्रियां इसकी वेबसाइट www.ncert.nic.in पर उपलब्ध हैं।

ii. एनसीईआरटी कक्षा I से II के लिए केवल दो पुस्तकों (भाषा और गणित) तथा कक्षा III से V के लिए 3 पुस्तकों (भाषा, ईवीएस और गणित) की सिफारिश करता है।

iii. एनसीएफ 2005 में सुझाव है कि स्कूलों को अपनी लचीली समय-सारणी तैयार करने की स्वायत्ता दी जाए ताकि स्कूली बच्चों को अन्य कार्यकलापों के लिए अधिक समय देते हुए

और संकल्पना को अधिक गहराई से समझने के लिए प्रतिदिन दो या तीन विषय पढ़ाए जाएं। एनसीईआरटी शिक्षकों और स्कूल हेड के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम द्वारा इस मुद्दे का समाधान करता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 1-8 के लिए पुस्तकों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिए परिपत्र जारी किए है। सीबीएसई ने दिनांक 12.09.2016 को भी एक परिपत्र जारी किया है जिसमें स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों को स्कूल बैग का भार कम करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं और दिनांक 13.08.2018 के परिपत्र के माध्यम से स्कूलों को कक्षा-।। तक छात्रों को कोई गृहकार्य न देना सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

*****

11वां स्थान

"स्कूल बैग का भार" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री अरूण साव द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 191

कार्यकारी सार

प्रश्न का विषय

प्रश्न का विषय यह जानना है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के लिये स्कूल बैग के भार को कम करने हेतु हाल में कोई योजना बनाई है। उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें वर्तमान में ऐसी योजना कार्यान्वित की जा रही है। क्या विद्यार्थियों के लिये स्कूल बैग का भार कम करने हेतु केंद्र सरकार का भी ऐसी योजना बनाने का विचार है। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह व्यवस्था कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

प्रश्न का सार:

मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल बैग के भार जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विषयों और पाठ्यपुस्तकों के साथ कक्षा 1-10 के लिए स्कूल बैग का अधिकतम भार निर्धारित किया गया है, को कम करने के लिए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।

महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम, उत्तर प्रदेश, गोवा, केरल, ओडिशा, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ एवं लक्षद्वीप प्रशासन ने स्कूल बैग के भार को कम करने के लिए निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसी नीति तैयार करने की सलाह दी गई है।

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 05.10.2018 के पत्र संख्या 1-4/2018-आईएस-3 के माध्यम से स्कूल बैग का भार कम करने के लिए नीति तैयार करने हेतु पत्र जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने चिल्ड्रन स्कूल बैग नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का भी गठन किया है और उन्होंने इस संबंध में एक मसौदा नीति प्रस्तुत की है।

एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ)- 2005 में पुराने तरीकों से सीखने की प्रथा को बदलने, स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान के साथ जोड़ने, बच्चों पर पुस्तकों का बोझ डालने के स्थान पर उनके समग्र विकास के लिए पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाने और परीक्षा प्रणाली को अधिक लचीली और कक्षा से एकीकृत करने पर बल दिया गया है।

इस संदर्भ में एनसीईआरटी ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं:

i. नए पाठ्यक्रम और पुस्तकों में पाठ्यचर्या भार के संबंध में एनसीएफ 2005 परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा गया है और यह परस्पर संपर्क तथा बच्चों पर केंद्रित पढ़ाने की विधि पर आधारित है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्रियां इसकी वेबसाइट www.ncert.nic.in पर उपलब्ध हैं।

ii. एनसीईआरटी कक्षा I से II के लिए केवल दो पुस्तकों (भाषा और गणित) तथा कक्षा III से V के लिए 3 पुस्तकों (भाषा, ईवीएस और गणित) की सिफारिश करता है।

iii. एनसीएफ 2005 में सुझाव है कि स्कूलों को अपनी लचीली समय-सारणी तैयार करने की स्वायत्ता दी जाए ताकि स्कूली बच्चों को अन्य कार्यकलापों के लिए अधिक समय देते हुए और संकल्पना को अधिक गहराई से समझने के लिए प्रतिदिन दो या तीन विषय पढ़ाए जाएं। एनसीईआरटी शिक्षकों और स्कूल हेड के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम द्वारा इस मुद्दे का समाधान करता है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 1-8 के लिए पुस्तकों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने के लिए परिपत्र जारी किए है। सीबीएसई ने दिनांक 12.09.2016 को भी एक परिपत्र जारी किया है जिसमें स्कूलों, शिक्षकों और अभिभावकों को स्कूल बैग का भार कम करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं और दिनांक 13.08.2018 के परिपत्र के माध्यम से स्कूलों को कक्षा-।। तक छात्रों को कोई गृहकार्य न देना सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 197

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

***197. श्री विनसेंट एच. पालाः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को कितनी-कितनी निधि आवंटित की गई;

(ख) अन्य शाखाओं की तुलना में एनआईटी मेघालय की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार की एनआईटी मेघालय की दशा में सुधार करने के लिए कोई विशिष्ट योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) से (घ): विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

"राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री विनसेंट एच॰ पाला द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 197 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) को आवंटित निधि का ब्यौरा संलग्नक में है।

(ख): एनआईटी मेघालय, वर्तमान में यूजी, पीजी और पीएचडी कार्यक्रमों के तहत इंजीनियरिंग की निम्नलिखित शाखाओं के साथ लेटूमुखराह, शिलांग में स्थित अपने अस्थायी परिसर से कार्य कर रहा है:

अवर स्नातक (यूजी)	**स्नातकोत्तर (पीजी)**	**पीएचडी**
सिविल इंजीनियरिंग (सीई)	सीई	सीएसई
कम्प्यूटर विज्ञान और	सीएसई	ईसीई
इंजीनियरिंग (सीएसई)	ईसीई	ईईई
इलेक्ट्रानिक्स और	ईई	एमई
कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग	एमई	रसायन विज्ञान
(ईसीई)	रसायन विज्ञान	गणित
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स	गणित	भौतिक विज्ञान
इंजीनियरिंग (ईईई)	भौतिक विज्ञान	मानविकी
मैकेनिकल इंजीनियरिंग (एमई)		सामाजिक विज्ञान

वर्तमान में, संस्थान में अध्ययन की विभिन्न शाखओं में 930 छात्र नामांकित हैं।

(ग) से (घ): मेघालय राज्य सरकार ने संस्थान के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए सोहरा, शिलांग में भूमि प्रदान की थी जहां भवन निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है और पूरा होने के विभिन्न स्तरों पर है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय समय-समय पर एनआईटी मेघालय को उनके व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान जारी करता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संस्थान के सुचारू कार्यकरण के लिए संकाय और गैर संकाय पदों की अपेक्षित संख्या भी स्वीकृत की है।

*****

संलग्नक

"राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री विनसेंट एच. पाला द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 197 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक।

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	संस्थानों के नाम	जारी की गई राशि 2017-18	जारी की गई राशि 2018-19	आवंटित की गई राशि 2019-20
1	एनआईटी अगरतला	10916.00	8814.00	11500.00
2	एनआईटी इलाहाबाद	12684.00	16428.00	12556.00
3	एनआईटी भोपाल	13267.00	12643.00	15081.00
4	एनआईटी कालीकट	13340.00	18632.00	11841.56
5	एनआईटी दुर्गापुर	16934.00	13399.00	16782.52
6	एनआईटी हमीरपुर	9352.00	14363.68	10159.00
7	एनआईटी जयपुर	17662.00	16600.00	10770.00
8	डॉ. बीआर अंबेडकर एनआईटी-जालंधर	12724.00	8159.00	10094.00
9	एनआईटी जमशेदपुर	14285.00	10388.00	9069.00
10	एनआईटी कुरुक्षेत्र	15229.00	13186.00	12227.50
1 1	वीएनआईटी-नागपुर	17813.00	14145.00	13458.75
12	एनआईटी पटना	12189.00	8768.00	9305.00
13	एनआईटी रायपुर	6443.00	9609.56	10662.77
14	एनआईटी राउरकेला	23840.00	20963.00	22267.52
15	एनआईटी सिलचर	12015.00	8804.20	11500.00
16	एनआईटी-श्रीनगर	13090.00	19159.00	12469.00
17	एसवीएनआईटी-सूरत	6924.00	5000.00	14487.00
18	एनआईटीके-सूरतकल	22070.00	25040.56	17963.00
19	एनआईटी तिरुचिरापल्ली	14588.00	17286.00	20642.77
20	एनआईटी वारंगल	12593.00	18921.00	21991.61
21	एनआईटी-अरूणाचल प्रदेश	3000.00	3433.00	3672.00
22	एनआईटी दिल्ली	3400.00	6170.00	13220.00
23	एनआईटी गोवा	8600.00	2069.00	1537.00
24	एनआईटी मणिपुर	4400.00	3817.00	3297.00
25	एनआईटी मेघालय	7000.00	4878.00	4636.00
26	एनआईटी मिजोरम	7316.00	2050.00	3656.00
27	एनआईटी नागालैंड	6200.00	2943.00	2771.00
28	एनआईटी पुडुचेरी	3900.00	3657.00	7958.00
29	एनआईटी सिक्किम	1900.00	3817.00	7160.00
30	एनआईटी उत्तराखंड	3500.00	4714.00	5533.00
31	एनआईटी- आंध्र प्रदेश	5000.00	8010.00	4205.00
32	आईआईईएसटी शिबपुर	13000.00	13000.00	14027.00
	कुल	**345,174.00**	**338,867.00**	**346,500.00 ***

*** नोट: उपरोक्त आवंटन के अलावा, हेफा देयता को पूरा करने के लिए रूपए 32205.00 लाख रूपए की राशि रखी गई है।**

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2206

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

नामांकन अनुपात

2206. श्री श्रीधर कोटागिरीः

श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि माध्यमिक स्तर पर निवल नामांकन अनुपात के आंकड़ों में अत्यधिक गिरावट आई है और केवल सात राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 80 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा माध्यमिक स्तर पर नामांकन अनुपात में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि स्कूल शिक्षा में कुछ समय से सुधार का दौर चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): एकीकृत जिला सूचना शिक्षा प्रणाली (यूडाइज) 2016-17 के अनुसार, माध्यमिक (कक्षा IX-X) में निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) में वर्ष 2014-15 में 48 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 में 53 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। यूडाइज ने यह भी बताया है कि वर्ष 2014-15 और 2016-17 के बीच समायोजित निवल नामांकन अनुपात में 24 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सुधार हुआ है। 7 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समायोजित निवल नामांकन अनुपात 80 प्रतिशत से अधिक है।

(ख) से (घ): सरकार ने बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए), मदरसों में गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना (एसपीक्यूईएम), अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचना विकास (आईडीएमआई) राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना (एनएसआईजीएसई), राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) सहित अनेक पहलें शुरू की हैं। शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्र सरकार की पहलों में शिक्षकों हेतु समर्पित डिजिटल अवसंरचना का विकास, दिक्षा और निष्ठा (राष्ट्रीय शिक्षक एवं स्कूल प्रमुख सर्वांगीण प्रोन्नयन पहल) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत शामिल है। यूडाइज 2016-17 के अनुसार, शिक्षकों की संख्या में भी वर्ष 2014-15 में 85.6 लाख की तुलना में वर्ष 2016-17 में 89 लाख की वृद्धि हुई है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2168

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

आईआईईएसटी

†2168. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कुछ विश्वविद्यालयों का भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) के रूप में उन्नत करने हेतु कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों के उन्नयन के मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): आनंदकृष्णन समिति, जिसका वर्ष 2005 में कुछ चयनित संस्थाओं की क्षमता का मूल्यांकन कर उन्हें उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई)' में परिवर्तित करने के लिए गठन किया गया था, ने संसद के अधिनियम के माध्यम से "भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी)" में परिवर्तित करने के लिए 05 (पांच) संस्थानों की सिफारिश की थी। ये पांच संस्तुत संस्थान थे (1) बंगाल इंजीनियरिंग कालेज - शिबपुर (पश्चिम बंगाल) (बाद में बंगाल इंजीनियरिंग एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (बीईएसयू) - शिबपुर); प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदु विश्वविद्यालय (बीएचयू) - वाराणसी (उत्तर प्रदेश); (3) कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीयूएसएटी) - कोच्चि (केरल); (4) आंध्रा इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालय - विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश); और (5) विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज (यूसीई), ओसमानिया विश्वविद्यालय - हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।

(ग) और (घ): भारत सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से आईटी (बीएचयू) को दिनांक 29.06.2012 से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (बीएचयू), वाराणसी के रूप में प्रोन्नत किया है। इसी प्रकार, बीईएसयू को भी दिनांक 04.03.2014 से आईआईईएसटी, शिबपुर के रूप में प्रोन्नत किया गया है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2203

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

शाला दर्पण

†2203. श्री मोहनभाई कुंडरियाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों विशेषकर गुजरात को राज्य सरकारों के विद्यालयों में शाला दर्पण जैसी प्रणाली शुरू करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): जी, हां।

(ख): गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने राज्य में इस प्रकार की परियोजना को पहले ही कार्यान्वित कर दिया है।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2113

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

बीच में विद्यालय छोड़ना

†2113. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमाः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक राज्य में वर्तमान में दसवीं कक्षा में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है;
(ख) किन राज्यों में विद्यालय छोड़ने का प्रतिशत अधिक है;
(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पढ़ाई के बीच में विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है; और
(घ) विद्यालय छोड़ने के प्रतिशत में कमी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): एकीकृत जिला स्कूल शिक्षा सूचना (यूडाइज) 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार, 2016-17 में 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के प्रतिशत का राज्यवार विवरण संलग्नक में है।

(ख): यूडाइज 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर वार्षिक औसत ड्रॉप-आउट दर 4% है और जिन राज्यों में वार्षिक औसत ड्रॉपआउट दर 4% से अधिक है, वे अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।

(ग): यूडाइज 2017-18 (अनंतिम) के अनुसार, वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्राथमिक स्तर पर वार्षिक औसत ड्रॉप-आउट की दर क्रमशः 4.1, 6.1 और 4.0 है।

(घ): समग्र शिक्षा - स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना जिसमें स्कूल शिक्षा को पूर्व-विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में परिकल्पित किया गया है और इसका उद्देश्य सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सार्वभौमिक पहुंच बढ़ाने और ड्राप आउट दर घटाने के लिए वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/सुदृढ़ीकरण, स्कूल भवनों

और अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना, उन्नयन और संचालन, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, निःशुल्क वर्दी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, परिवहन भत्ता और नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाने सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, स्कूल न जाने वाले बच्चों के आयु के अनुसार प्रवेश के लिए विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय के साथ-साथ गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थल पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/एस्कॉर्ट सुविधा के लिए भी स्कूल न जाने वाले बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए सहायता दी जाती हैं। इसके अलावा, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर छात्रों को मध्यान्ह भोजन दिया जाता है। इसके अलावा, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए छात्र उन्मुख घटक के तहत, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान और मूल्यांकन सहायक उपकरण, ब्रेल किट और पुस्तकें उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री और विकलांग छात्राओं को वजीफा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आरटीई अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि प्रत्येक माता-पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह यथास्थिति प्राथमिक शिक्षा के लिए अपने बच्चे या वार्ड को पड़ोस के स्कूल में भर्ती करें या करने के लिए प्रेरित करे।

*****

संलग्नक

"बीच में विद्यालय छोड़ना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा द्वारा दिनांक 02.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2113 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17 में 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत
	दसवीं कक्षा में पास का %
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	99.34
आंध्र प्रदेश	100.00
अरुणाचल प्रदेश	87.97
असम	58.12
बिहार	51.41
चंडीगढ़	92.25
छत्तीसगढ़	58.87
दादरा और नगर हवेली	48.50
दमन और दीव	48.11
दिल्ली	95.24
गोवा	93.19
गुजरात	70.40
हरियाणा	65.59
हिमाचल प्रदेश	77.10
जम्मू और कश्मीर	69.00
झारखंड	72.44
कर्नाटक	एन.आर.
केरल	96.62
लक्षद्वीप	एन.आर.
मध्य प्रदेश	64.12
महाराष्ट्र	88.27
मणिपुर	83.73
मेघालय	79.76
मिजोरम	75.57
नागालैंड	86.00
ओडिशा	86.24
पुडुचेरी	100.00
पंजाब	77.62
राजस्थान	82.57
सिक्किम	90.28
तमिलनाडु	93.85
तेलंगाना	89.13
त्रिपुरा	66.11
उत्तर प्रदेश	80.22
उत्तराखंड	77.88
पश्चिम बंगाल	84.41

स्रोत यूडाइज 2017-18 (अनंतिम)

एनआर - राज्यों द्वारा डाटा रिपोर्ट नहीं किया गया।

*****

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2133

उत्तर देने की तारीख: 02.12.2019

महाराष्ट्र में केन्द्रीय विद्यालयों हेतु भवन

2133. श्री राजन बाबूराव विचारेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में स्थित अनेक केन्द्रीय विद्यालयों का स्वयं अपना भवन नहीं है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इमारतों और प्रयोगशालाओं के निर्माण हेतु वहां जगह की कमी के कारण उच्च शिक्षा हेतु कक्षाएं आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त स्कूलों हेतु भवनों की व्यवस्था कब तक करना प्रस्तावित है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): महाराष्ट्र राज्य में 59 विद्यालयों (केवि) में 5 केंद्रीय विद्यालय नामत: बीएसएफ चाकुर, वाशिम, परभणी, यवतमाल और सीआरपीएफ तेलीगांव के पास अपने भवन नहीं हैं।

(ग): केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 11वीं और 12वीं को शुरू करने की स्वीकृति पर मांग और संबंधित विद्यालय में अपेक्षित अवसंरचना की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

(घ): केंद्रीय विद्यालय के स्थायी भवन का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो उपयुक्त भूमि की पहचान करने, प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा केंद्रीय विद्यालय संस्थान के पक्ष में लीज औपचारिकताओं को पूरा करने, निर्माण एजेंसी द्वारा ड्राईंग/अनुमानों को प्रस्तुत करने, निधियों की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर करती है। इसलिए इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

*****

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
आतारंकित प्रश्न सं. 2146
उत्तर देने की तारीख : 02.12.2019

उच्चतर शिक्षा में आत्महत्या दर

†2146. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को देश के उच्चतर शिक्षा संस्थानों में बढ़ती आत्महत्या दर की जानकारी है;
(ख) क्या सरकार ने आईआईटी जैसे उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में जाति या धर्म के आधार पर छात्रों के साथ भेदभाव/उत्पीड़न पर कोई अध्ययन/अनुसंधान किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में छात्रों के उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या उपाए किए गए हैं?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क): उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या दर बढ़ नहीं रही है।

(ख) से (घ): भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पहले ही उत्पीड़न और भेदभाव की घटनाओं को रोकने के लिए और देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में वंचित समूहों सहित सभी छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए कई कदम उठायें हैं, जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 भी शामिल है। यूजीसी ने अपने दिनांक 19.07.2011, 02.07.2013, 07.03.2016, 05.09.2016, 15.5.2017, 04.06.2018 और 26 जून, 2019 के पत्रों द्वारा समय-समय पर जाति आधारित भेदभाव की रोकथाम के लिए सभी विश्वविद्यालयों/ सम विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में, यूजीसी ने अपने दिनांक 26.06.2019 के पत्र द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग के छात्रों/ शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से प्राप्त भेदभाव की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए कहा है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने भी छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए तीन सप्ताह का छात्र प्रेरण कार्यक्रम भी शुरू किया है। इसमें शारीरिक गतिविधियां, अधिगम, कला, साहित्य, सिनेमा, सामाजिक जागरूकता और सार्वभौमिक मानवीय मूल्य शामिल हैं।

***